

स्तानी एकेडे मी, पुस्तकालय
इलाहाबाद

वर्ग संख्या
.....

पुस्तक संख्या
.....

क्रम संख्या
.....

नटो तो कहो मत

(प्रथम भाग)

लेखक—

डा० कन्हैयालाल सहल

प्रधक्ष, हिन्दी-संस्कृत-विभाग,
बिड़ला आर्द्ध कालेज,
पिलानी (राजस्थान)

二
八

निवेदन

पारचात्य विद्वानों ने लोक-कथाओं के मूल भावों (Motif) कैज़ानिक अध्ययन किया है। प्रस्तुत पुस्तिका में राजस्थानी लोक-कथाओं के कुछ प्रेरक अभिप्रायों का विवेचन हुआ है। Motif के लिए मूल भाव तथा प्रेरक अभिप्राय दोनों शब्द बहवाह हैं। कुछ विद्वानों ने इस शब्द के योग्य के लिए मैं 'कथानक' का प्रयोग किया है। इन मूल भावों के निर्दर्शनार्थ मैंने राजस्थानी लोक-कथाओं के उदाहरण दिये हैं, उनमें से वहुगांठ-कथाएँ श्रीराजतजी सारस्वत के सौजन्य से प्राप्त हुई हैं, जिनमें लेखक इनका अत्यन्त आभारी है। राजस्थानी लोक-कथाएँ के मूल भाव 'नटो लो कहो मत' को ज़ेरूर ही पुस्तक बनाकरण-संस्कार किया गया है। श्री साराजननजी ने पुस्तक बनाने में जिस त्वरा और तत्पुरता का परिचय दिया है, वही अत्य है। पुस्तक का दूसरा भाग भी प्रैन लैरे दिया गया है जहां ही प्रकाश में आयेगा।

विषय--सूची

	पृष्ठ
मूलभाव (अनम्भव)	१
मूल अभिप्राय (करके दिखाओ)	१४
प्रेरक अभिप्राय (प्रतिध्वनि शब्द)	१६
मूल अभिप्राय (उपशब्दण)	२०
मूल अभिप्राय (प्रकाश-प्रवेश अथवा पन्द्रहवीं विद्या)	३८
मूल अभिप्राय (नटो तो कहो मह)	४५

मूल-भाव (Motifs)

१. असम्भव

राजस्थानी भाषा की एक प्रसिद्ध लोक-गाथा हैः—

करता रे सग कीजिये, सुण रे राजा-भील ।
सोनै रे बुण लागगो तो छोरे नै लेगी चील ॥

उक्त लोक-गाथा के पीछे निम्नलिखित कथा कही जाती हैः—

एक बनिया था जो जीविकोषार्जन के लिए परदेश गया । जाते पर वह अपना कुछ सोना एक मित्र के यहाँ रख गया । परदेश से ने पर जब वह अपना सोना वापिस लेने के लिए अपने मित्र के यह तो मित्र ने उत्तर दिया—“तुम्हारे सोने के तो घुन लग गया ।” सुन कर बनिया कहने लगा—“भाई, ठीक है, यह मेरे भारत के है; जब मेरे सोने के घुन ही लग गया तो तुम अब कर भी क्या नै हो ?” यह सुन कर मित्र बड़ा प्रसन्न हुआ और वह बनिये के प्रति आदर-सत्कार दिखलादे लगा और उसे भोजन के लिए निर्मित भई दिया । बनिये ने जब भोजन के पहले स्नान करने की इच्छा प्रकट तो उसके मित्र ने अपने छोटे लड़के को बनिये के साथ कर दिया रु कह उसे पास के तालाब में स्नान करा लावे । बनिये ने जब स्नान लिया तो उसने अपने मित्र के लड़के को किसी स्थान पर छिपा । लौटने पर मित्र ने अपने लड़के के सम्बन्ध में जब पूछताछ कर चतुर बनिये ने उत्तर दिया—“क्या कहूँ, जब मैं नहीं रहा था, तुम्हाँ के को चांड नहीं को मर्द ॥” उन्हें ने — “————— ॥ —————— ॥ —————— ॥

ये न भी सब किस्सा कह सुनाया और उक्त गाथा कही जिसपथ यह है कि हे भील राज ! शठ के प्रति शठता का ही व्यवहार ना चाहिए । यदि सोने के घुन लग गया तो बच्चे को भी चौल उगड़ी !!

उक्त लोक-गाथा का मूल आधार हमें जातक और पंचतन्त्र लब्ध होता है । 'कूटबाणिज' जातक में बतलाया गया है कि एक ग्रामसी तथा एक नगर-वासी दो बनियों की आपस में मित्रता थी । ग्रामसी ने नगर-वासी के पास पाँच सौ फाल रखे । उसने उन फालों की संख्या, कीमत ले, जिस जगह पर फाल रखे थे, वहाँ चूहों की मेंगने के लिए समय बीतने पर ग्रामवासी ने आकर कहा—मेरे फाल दे । कुटिल ने चूहे की मेंगने दिखा कर कहा कि तेरे फालों को चूहे खा गए

दूसरे ने 'अच्छा खाये गये सो खाये भये, चूहों के खा लेने पर क्या जा सकता है ?' यह कह कर नहाने के लिए जाते समय उसके पुरासाथ ले जा, एक मित्र के घर मे बिठला कर कहा—इसे कही ने दें । फिर स्वयं नहा कर कुटिल बनिये के घर गया । उसने पूछा—'आप कहाँ हैं ?' "मैं तेरे पुत्र को किनारे बैठा कर पानी में डुबा रहा था । एक चिड़िया आई और तेरे पुत्र को पंजो मे ले आकर उड़ गई । मैंने हाथ पीटे, चिल्लाया, कोशिश की, लेकिन तब भी उचुड़ा सका ।" "तू भूठ बोलता है । चिड़िया बच्चों को लेकर नहीं चलती ।" "मित्र, असम्भव होने पर भी, मैं क्या करूँ ? तेरे पुत्र चिड़िया ही ले गई है ।"

उसने डराते हुए कहा—अरे मनुष्यघातक, दुष्ट, चोर ! अलत में जाकर निकलदाता हूँ । यह कह कर वह चला । 'जो तु

मां अब मेरा पुत्र कहाँ है ? पूछने पर कहता है कि उसे चिड़िया से ली । इस मुकद्दमे का फँसला करें ।

बोधिसत्त्व ने दूसरे से पूछा—“क्या यह सच है ?” “स्वामी ! मैं तो लेकर गया । चिड़िया के उसे ले जाने की बात सच ही है ।”

“क्या इस दुनिया में चिड़ियाँ बच्चों को ले जाती हैं ?”

“स्वामी ! मैं भी घरपसे पूछना चाहता हूँ कि चिड़ियाँ तो बच्चों को लेकर आकाश में नहीं उड़ सकतीं, तो क्या चूहे लोहे के फाल खा करते हैं ?”

“इसका क्या भतलब है ?”

“स्वामी ! मैंने इसके घर में पाँच सौ फाल रखे । यह कहता है कि तेरे फालों को चूहे खा गये और ‘यह तेरे फालों को खाने वाले चूहों दो मेंगनी हैं’ कहकर मेंगनी दिखाता है । स्वामी ! यदि चूहे फाले खाते हैं, तो चिड़ियाँ भी बच्चे ले जाती हैं । यदि नहीं खाते हैं तो चिड़ियाँ तो क्या, बाज भी बच्चे नहीं ले जा सकते । यह कहता है कि तेरे फालों को चूहे खा गए । उन्होंने खाए वा नहीं खाए, इसकी रीक्षा करें । मेरे मुकद्दमे का फँसला करें ।”

बोधिसत्त्व ने सोचा—इसने शठ के प्रति शठता का व्यवहार करके दीतने की बात सोची होगी । उससे कहा—तुमने ठीक सोचा है । और ह गाथा कही—

सठस्स साठेय्यमिदं सुचिन्तितं,

पञ्चोडितं पति कूटस्स कूट ।

फालञ्जे अदेय्यु मूसिका,

कस्मा कुमारं कुलला नो हरैयु ॥

कूटस्स हि सन्ति कूटकूटा,

भद्रति चापि निकतिनो निकत्या ।

अर्थात् शठ के प्रति शठता यह अच्छा सोचा है। कुटिल के प्रतिलता का जाल फलाया है, यदि चूहे फाल खा जाएँगे तो चिड़ियें को क्यों नहीं ले जाएँगी? कुटिल के प्रति कुटिलता का व्यवहार ने वाले मिल जाते हैं। ठग को भी ठगने वाले होते हैं। हे पुत्र-नष्टकी फाल खोई गई है, उसकी फाल दे। तेरे पुत्र को, जिसको फाल हुई है, वह न ले जाए।

“स्वामी! मैं इसकी फाल देता हूँ, यदि यह मेरा पुत्र दे।”

“स्वामी! मैं देता हूँ, यदि यह मेरे फाल दे।”

इस प्रकार जिसका पुत्र खोया गया था, उसने पुत्र पाया। जिसका खोई गई थी, उसने फाल पाई। दोनों कर्मानुसार गये।

पंचतन्त्र में इसी कथा का निम्नलिखित रूप प्राप्त होता है—

“एक बनिये का लड़का जीविकोपार्जन के लिए देशान्तर गया। उसके घर में पूर्वजों द्वारा उपार्जित लोहे के सहस्र पलों^२ से निर्मित एक तराजू था। वह इस तराजू को दूसरे बनिये को सौंप परदेश के लिए आना हुआ। वहाँ से लौटकर जब उसने तराजू वापिस माँगी तो बनिये ने उत्तर दिया—‘तुम्हारी तराजू तो शब्द नहीं रही, उसे चूहे देना चाहिए।’ यह सुनकर तराजू के स्वामी उस बनिये ने कहा—‘मित्र, इस तराजू दोष नहीं, यह संसार है ही ऐसा; यहाँ कोई वस्तु शाश्वत नहीं। नन्तु मैं नदी में स्नान करने के लिए जाऊँगा, इसलिए अपने बच्चे स्नान के उपकरण देकर मेरे साथ भेज दे। बनिये का पुत्र उसके साथ तक गया। जब अतिथि ने स्नान कर लिया तो उसने बनिये

के को नदी के समीप की एक गुफा में छिपा दिया और गुफा के आ बड़ी शिला लगा दी , अर्थात् जब स्नान कर बनिये के घर पहुँ बनिये ने कहा—“हे अभ्यागत, मेरे शिशु को कहाँ छोड़ आये ।” अथ ने कहा—‘तुम्हारे शिशु को तो इयेन (शिकरा या बाज) हर के ले गया ।’ बनिये ने कहा—‘मिथ्यावादिन् । कभी बाज भी यि हरण कर सकता है ? इसलिए या तो मेरा पुत्र लौटा दे, नहीं युक्तमा चलाऊँगा ।’ दोनों परस्पर विवाद करते हुए न्यायालय थे । धर्माधिकारियों ने उस अतिथि से कहा कि बनिये के लड़के : नस कर दो । उसने उत्तर दिया—‘मैं क्या करूँ ? मेरे देखते-देख के किनारे पर से बाज बच्चे का अपहरण करके ले गया ।’ उन्हो सुनकर कहा—‘कभी बाज भी बच्चा ले जा सकता है ?’ तब उस र दिया—

“तुलां लोहसहस्रस्य यत्र खादन्ति मूपिका ।
राजस्तत्र हरेच्छ्येनो बालक नाश्र संशयः ॥”^१

अर्थात् एक हाजर लोहे के पलों से निर्मित तराजू को जहाँ चूहे हैं, वहाँ यदि बाज शिशु का हरण करके ले जाय तो इसमें सन्देश्या है ?

धर्माधिकारियों ने जब इसका रहस्य पूछा तो तराजू के स्वार्थे ने सब कथा कह सुनाई । इस पर धर्माधिकारियों की बड़ी हँसी है । उन्होंने तराजू के स्वार्थी को तराजू दिलाई और शिशु के पिता उसका शिशु लौटा कर दोनों बनियों को सन्तुष्ट किया ।

असम्भव मूल भाव (*Impossible motif*) से सम्बन्ध रखते होने के शास्त्रों के बाहर भारतीय शास्त्रों में भी उनीं भारत के बाबेक रूपों

चलित है तुलनात्मक अध्ययन के लिए आसाम की एक लोक-कथा
उद्धृत की जा रही है :—

“एक राजा का लड़का दुनिया देखने के इरादे से घोड़े पर सवार
घर से बाहर निकला। चलते-चलते वह एक जंगल में पहुँचा।
उसके रास्ते में एक गोदड़ बैठा हुआ था। उसने गोदड़ से कहा—
स्ता छोड़ दे, नहीं तो मेरा घोड़ा तुम्हारी सब हड्डी-पसली तो
गगा।” गोदड़ ने कहा—“मैं तो यहाँ से नहीं हट सकता, तुम्हें
ने घोड़े को एक तरफ़ करके आगे बढ़ जाओ।” राजा के लड़के
—“खँर, अभी तो अँधेरा हो रहा है, मैं ही घोड़े को एक तरफ़
लेता हूँ किन्तु लौटते समय तुम्हें मजा चखाऊँगा।” गोदड़
—“देखना है, कौन किसको मज्जा चखाता है ?”

राजकुमार आगे बढ़ा और चलते-चलते एक तेली के घर
आया। घर के बाहर एक घानी थी। उसने अपना घोड़ा उसी
दिया। अन्दर जाकर तेली से कहा—‘मैं रात भर यहाँ ठहर
हूँता हूँ।’ घोड़े के बाबत उसने तेली से एक शब्द भी नहीं कहा।

दूसरे दिन प्रातःकाल जब तेली उठा तो उसने कहा—“ओ हो
य घानी ने एक घोड़े को जन्म दिया है,” और ऐसा कहकर ब
नन्द-विभोर हो नृत्य करने लगा। यह देख कर राजकुमार के आश्चे
ठिकाना न रहा। उसने तेली से कहा—‘रहने दो, घोड़ा तो मे
मने ही पिछली रात इसे घानी के बांध दिया था। घानी भी क
होड़े को जन्म दे सकती है ?’ किन्तु तेली ने एक न सुनी; वह घो
पेस करने के लिए राजी न हुआ। इस पर राजकुमार ने कचहरी

कहा गया तो उसने उत्तर दिया—गवाह तो मेरे पास कोई नहीं
मैंने घोड़ा बाधा, उस समय मेरे पास कोई नहीं था। इस प्राधीश ने कहा कि तब तो तुम्हारा मामला ही झूठा है, न तो घोड़ा
राहा है और न तुमने इसे बाँधा ही है। तब राजकुमार सोच-विचार
द गया। उसने तनिक स्मरण करके कहा—‘भगवन् ! जब मैं घोड़ा
सवार होकर आ रहा था, एक गोदड़ ने अवश्य मुझे देखा था
गा हो तो उसे ही ले आऊँ।’ उसे गोदड़ को गवाह के रूप में पें
ने की आज्ञा दे दी गई। राजकुमार गोदड़ के पास पहुंचा और
से अपने अशिष्ट व्यवहार के लिए क्षमा-याचना की और सब घटना
सुनाई। गोदड़ ने कहा—‘आज तो मैं नहीं चल सकता किन्तु क
समय गवाही देने न्यायालय में उपस्थित हो जाऊँगा।’

दूसरे दिन गोदड़ ने एक दल-दल में लौट लगाई, फिर एक राख
के पास गया और उसमें कई बार लौट लगाई। परिणाम यह हुआ
उसका सारा शरीर राख से लिप्त हो गया। न्यायालय में जब वह लौट
पहुंचा तो न्यायाधीश ने उससे देर का कारण पूछा। गोदड़ ने उत्तर
दिया—‘भगवन् ! मैं आपको क्या बताऊँ, मैं बड़ी विपत्ति में
था। आप सच मानिये, आज तो समुद्र में आग लग गई। मैं
हाने की बड़ी कोशिश की किन्तु सब बेकार ! देख नहीं रहे हैं अब
शरीर की हालत !’

न्यायाधीश ने हँस कर कहा—“लोग भी कभी-कभी कंसी अस्ति
तें करने लगते हैं—कभी समुद्र में भी आग लगते हैं ?”

गोदड़ ने बड़ी शान्ति और नम्रता से उत्तर दिया—“यदि समझ

न्यायाधीश को अपनी सूल मालूम हुई उसने घोड़ा राजकुमार पिस दिलवा दिया ।^१

आसाम की लोक-कथा की भाँति यही लोक-कथा किंचित् रूपान्तर साथ बिहार में भी प्रचलित है। बिहारी लोक-कथा का गीदड़ जर से पहुंचता है तो वह इस प्रकार सफ़ाई देता है :—

“रास्ते में मैंने एक बड़ा तालाब देखा जिसमें बहुत सी मछलियाँ भूज जायें। मैंने इस ऊद्देश्य से तालाब में आग लगा दी कि मछलियाँ भूज जायें। फिर जब मछलियाँ तैयार हो गईं तो मैं उन्हें खाने के लिए दूर गया और इस प्रकार यहाँ पहुंचने में मुझे विलम्ब हो गया। लोग कहा कि पानी में आग का लगना और इस प्रकार मछलियों का भूजना कैसे सम्भव हो सकता है? शृगाल ने उत्तर दिया कि यह उत्तरह सम्भव है जिस तरह घानी से घोड़े की उत्पत्ति !”

‘असम्भव’ नामक मूल भाव (*Motif*) से सबन्धित जो लोक-कथा पर दो गई हैं, उनके अध्ययन से स्पष्ट है कि यह मूल भाव लोक-थाकार के हाथ में एक ऐसा अस्त्र है, एक ऐसा राम-बाण है जो भावकता की हृषि से अचूक कहा जायगा। इस मूल भाव को लेकर या जिस प्रकार आगे बढ़ती है, उसमें एक प्रकार का नाटकीय व्यंग (Dramatic irony) भी छिपा रहता है। असम्भव को संभव मार चलने वाले ही असम्भव की संभवता पर भुंझलाते हैं अथवा उसका व्याप्ति उड़ाते हैं! इससे बड़ा नाटकीय व्यंग और क्या होगा? जब कोई पात्र इस ओर उसी असम्भव-पद्धति द्वारा उनका ध्यान आकृता है तब उनकी आँखें खुलती हैं, वही कथा का सर्वाधिक औत्सुक व्यंग आता देता है; यह व्यंग में कौन नहीं आवेदन की जाएगा?

है। अनोदिशलेषण-शास्त्री जिस प्रकार अतीत का स्मरण दिला करते का उपचार करते हैं, उसी प्रकार इस असम्भव मूल-भाव द्वारा उसी असम्भव-भावना के शिकार उस पात्र का इलाज हो जाता है।

अलंकार-शास्त्र में इस पद्धति से मिलता-जुलता एक अलंकार होता है जिसे 'मिथ्याध्यवसिति' कहा गया है। इसमें एक असम्भव या मिथ्या निश्चित करके तब कोई दूसरी बात कही जाती है, और इस प्रकार दूसरी बात भी मिथ्या ही होती है। 'जो आँजै नभ-कुसुम-रस, लालहि के कान' उदाहरण-स्वरूप रखा जा सकता है।

राजस्थानी लोकोक्तियों में भी ऐसे कुछ कहावती वाक्य मिलते हैं असम्भव अर्थ को प्रकट करते हैं। एक ऐसा ही कहावती वाक्य ज्येहे—

"आगाई गिया जाए ऊंट का माथा सूँ सींगडा गिया" अर्थात् ऊंट चले गये जेसे ऊंट के माथे से सींग चले गये।

'ससैं सींग की धनुषड़ी रमै बांझ को पूत' भी एक ऐसी ही कहावती है जिसका आशय यह है कि यदि खरगोश के सींग का धनुष बनाया जाता तभी बन्ध्या का पुत्र उससे खेल सकता है। यह कहावत 'मिथ्याध्यवसिति' अलंकार के निदर्शनार्थ रखी जा सकती है।'

मैं समझता हूँ, असम्भव मूल-भाव अथवा अभिप्राय को छोड़ने वाले कहावती वाक्यों के पीछे भी ऊपर उद्धृत लोक-कथाओं की कहानियाँ प्रचलित रही होंगी।

'असम्भव' मूल-भाव (*Motif*) का एक दूसरा रूप भी देखा जा सकता है जिसमें लोक-वार्ता के दो पात्र बारी-बारी से अनहोनी बातों

नी सुनाते हैं और परस्पर यह शर्त बदी जाती है कि यदि कहाने धोता यह कह दे कि 'यह भी कोई होने की बात है ?' तो कथावाचका सर्वस्व स्वायत्त कर ले । इस प्रकार की कहानियों में जो पार में हारता है, वह इधर कुआँ, उधर खाड़ी की विषम स्थिति में पड़ा है । वह यदि यह कह दे कि 'यह भी कोई होने की बात है ?' तो उसे अपनी सारी सम्पत्ति से हाथ धोना पड़ता है, अन्यथा अपने घटनाओं की परिणति के अनुसार क्षति उठानी पड़ती है मूल भाव के स्पष्टीकरण के लिए निम्नलिखित लोक-कथा पार कीजिये :—

"किसी गाँव में एक प्रसिद्ध ठग रहता था । गाँव छोड़ कर वह एल में चला गया जिसका विस्तार सैकड़ों मील से था । जंगल में मार्ग जाता था जहाँ एक शिव-मन्दिर व कुआँ बना हुआ था । इसी स्थान को ठगी के उपयुक्त समझा । वह वहाँ साधु के वेश ने लगा । जब कोई यात्री उस मार्ग से निकलता तो उसे वह तमाम के लिये बिठा लेता और उससे मीठी-मीठी बातें करता रहता । संध्या हो जाती तो वह यात्री से कहता—'यहाँ के नियमानुसंधार में कोई नहीं ठहर सकता ।' लाचार होकर पथिक को जाता । ठग के पाँच लड़के थे जो डाकुओं का वेश बनाकर उस पथिक अंधेरे में लूट लेते । इस प्रकार उस ठग ने बहुत से मनुष्यों को ठग

जंगल के किनारे एक सरदार का गाँव था । एक दिन एक ठग एक पथिक सरदार के पास गया और उसे ठग का सारा वृत्तान्त बताने के लिए आया ।

क बुद्धिमान और कौन होगा ? आप ही उस शिव-मन्दिर पर जायें
ठगा गये तो डुगना जेवर ले लूँगा और यदि बिन ठगाये लौटे १
जेवर आपका होगा । ”

पुरोहित ने सरदार की शर्त मान ली और वह एक ऊँट पर सवार
शिव-मन्दिर को रवाना आ । मन्दिर के पास पहुँचा तो साथ-
धारी ठग ने श्रावाज दी । पुरोहित ने ऊँट को अलग बिठा दिया
स्वयं ठग के पास जा बैठा । जेवर देखकर ठग ने सोचा—‘आ
ज्ञा शिकार फँसा है ।’ बड़े प्रेम से वह पुरोहित के साथ बातें करता
। सन्ध्या होते ही उसने पुरोहित को अपना नियम सुनाया
हित ने उत्तर दिया—‘मुझे रात में दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए
रात भर यहाँ ठहरूँगा ।’ ठग ने कहा—“एक शर्त पर तुम यह
सकते हो । मैं जो बात कहूँ, उसे तुम सुनो और यदि तुम यह
दो कि ‘यह भी कोई होने की बात है !’ तो मैं तुम्हारा सब कुछ
लूँ ।” पुरोहित ने कहा—“तुम्हारी शर्त तो मुझे स्वीकार है ।
भी यह शर्त होगी कि मैं भी एक बात कहूँ और यदि सुनकर तुम
कि ‘यह भी कोई होने की बात है !’ तो मैं तुम्हारे पास मन्दिर
कुछ है, सब ले जाऊँ ।” ठग ने शर्त मंजूर कर ली ।

ठग ने बात कहना शुरू किया—“एक बार मैंने ५०० रुपयों में ए
था ऊँट खरीदा और उस पर सवार होकर ससुराल गया । जब
पहुँचा, मेरे ससुर, साले और ससुराल की जियां सब खेत काटने
थे । कटे गेहूँ का ढेर खेत के बीच मे लगा हुआ था । मैं पहुँचे
उन लोगों ने काम बन्द कर दिया, मेरे पास आ बैठे और बातें कहने

निदान जेलिये से सारे 'लाण' को बिखेरा गया, परं ऊँट न मिला। लाण को गाहा गया परं फिर भी ऊँट का पतर न चला। सारा अनाड बरसाया गया, परं फिर भी ऊँट नदारद। समुरात वालों को भी ऊँट के न मिलने की चिन्ता हुई। उन्होंने सोचा—'सारे अनाज को पिसवाया जाय, चक्की के गले में तो अबह्य ही आ जायगा। अनाज न सही, हम आटा ही बेच देंगे। यह सोचकर अनाज पिसवा ढाला परं फिर भी ऊँट न मिला। मैं भी निराश हो गया। अगले दिन मैं घर जाने के लिए तैयार हुआ। मेरे लिये नये अनाज की रोटियाँ बनाई गईं। मैं चौके में बैठा भोजन कर रहा था। जब मैंने एक फूली हुई रोटी की पपड़ी हटाई तो मैं क्या देखता हूँ कि पपड़ी के नीचे जीन सहित ऊँट बैठा जुगाली कर रहा है।

ठग ने कहानी पूरी की और पुरोहितजी की रात्र जाननी चाही। पुरोहित ने कहा—'किस्सा तो यह पहले भी सुना था, आप ही का था क्या?' और चुप रहा।

ठग ने कहा—'बस मेरा किस्सा पूरा हो जेका; अब आप कहिये।

पुरोहित ने कहना शुरू किया—

'मैं मांवडा के राजा के पास रहता था। मेरे कार्य से प्रसन्न होकर राजा ने कहा—'पुरोहितजी, जो चाहो, माँग लो।' मैंने खूब सोच-विचार न गाँव के बाहर की वह १० बीघा भूमि माँग ली जहाँ गायें बैठते रहती थीं। राजा ने कहा—'वयर माँगा आपने? कोई गाँव माँगते। न, जिसी आपकी इच्छा। वह भूमि आपके नाम हुई।'

मैं जमीन के पास गया और बोला—'चल, जमीं माता! मेरे गाँव न।' जमीन ने कहा—'तू नौकरी करने वाला आदमी है, मेरी कदर मिली करेगा। मुझे जीते-दोबे तो चलौ।' जैसे — ^ ^ ^

नीकरी पर चला गया। वर्षा होने पर लौटा तो देखता था हूँ कि जमीन बहुर्हाँ पर नहीं है। मैं सबभ गया कि जमीन रुद्ध हो गई। बौड़ा हुआ मांवडा पहुँचा। बहुत मान-मनावन करके उसे ब्राप्त स लाया।

सेकड़ों गाड़ी खाल जमीन में डलवाया गया और जुताई करके जुबार बोई गई। खेत में जुबार बया लगी, बट-बृक्ष के—से पेड़ लग गये। जिसने फसल को देखा, दाँतों तले अंगुलि दबाई। भुट्टे निकले तो मन-मन भर के। फसल पक कर तैयार हुई तो दस-बीस गाँवों के भजवूर बुलवाकर कटवाई गई। भुट्टे तोड़कर ढंठल गायों के लिये डाल दिये गये। भुट्टों को इकट्ठा किया तो कई बीघों में पहाड़ के समान ढेर लग गया। लोगों ने अनुभान लगाया कि एक लाख मन जुबार होगी। मैं चौकीदारी के लिए ढेर के ऊपर खाट ढालकर सोने लगा। शाज प्रातःकाल आँख खुली तो देखता था हूँ कि जुबार का ढेर गायब ! चोरों के खोज निकाले। इस मंदिर से आगे खोज नहीं जाते हैं। निश्चय ही सारा भाल इस मंदिर के अन्दर आया है। लाइये महात्माजी ! एक लाख मन जुबार दीजिये ।”

ठग यदि कहे कि यह भी कोई होने की बात है, तब तो उसे पुरोहित को मंदिर का सारा धन देना पड़े और यदि बात की हैं भरे तो एक लाख मन जुबार देना पड़े। इसलिए वह चुप हो रहा। इस पर पुरोहित ने कहा—‘चुप क्यों बँठे हो ? लाख मन जुबार दो।’

ठग ने कहा—‘मैं हारा, तुम जीते। जुबार इतनी मैं नहीं दे सकता; मंदिर में जो कुछ है, ले जाओ।’

पुरोहित अपनी बुद्धिमानी से ठग का सारा धन ले आया। राजा भी प्रसन्न होकर उसे बहुत-सा पुरस्कार दिया।

२. मूल-अभिप्राय (करके दिखाओ)

('Show me how' Motif)

राजस्थान में 'गोदड़े रे मूँड़े कुसल्' एक कहावती वाक्य के रूप में प्रचलित है जिसके पीछे निम्नलिखित कथा कही जाती है:—

“एक सिंह पिजड़े में बन्द था। कोई बाह्यण उधर से जा रहा था। सिंह को करण पुकार सुन कर जब बाह्यण ने उसे पिजड़े से मुक्त कर दिया तो सिंह ने उमे ही खा जाना चाहा। इस पर एक गोदड़ को न्याय के लिए मुकर्रर किया गया। गोदड़ ने अश से इति तक पूरो कहानी सुनी। सुन कर उसने कहा—‘और तो सब ठीक, किन्तु यह बाल मेरी समझ के बाहर है कि सिंह पिजड़े में रहा हो; यह असम्भव है। मुझे करके दिखाओ तो पता चले।’ सिंह ने कहा—‘इसमें असम्भव क्या है? मैं अभी करके दिखलाता हूँ।’ सिंह पिजड़े के अन्दर गया और जाते ही पिजड़ा बन्द कर दिया गया। बाह्यण ने कहा—‘मेरा न्याय?’ गोदड़ ने उसर दिया—‘न्याय हो गया न; तुम्हें और क्या चाहिए? जो उपकार के बदले अपकार करता है, उसकी यही सजा है।’

Southern Textus Simplicior of Panchatantra में उक्त लोक-कथा का निम्नलिखित रूप उपलब्ध होता है:—

“एक बाह्यण तीर्थ-यात्रा के लिए काशी जाता है। मार्ग में उसकी एक चीते से भेट हो जाती है जिसे एक सिपाही ने, जो पानी की तलाशी भटक रहा था, पकड़ कर एक सन्देश में डाल दिया था। चीता बाह्यण से अनुमय-विनय करता है कि तुम मुझे मुक्त कर दो। मत्त जाते ही चीता बाह्यण को—

कृतधन प्राणी है। मुझसे दस बछड़े हुए किन्तु अब मेरी वृद्धावस्था में मेरा मालिक मुझे धोटता है और भूखों मारता है। किर एक वृद्धा स्त्री से भेंट होती है। वह भी मनुष्य की कृतधनता का ही प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करती है। अंत में वे एक गोदड़ के पास पहुँचते हैं जो यहने नो न्याय करने के लिए अपनी अविच्छिन्न प्रकट करता है किन्तु अंत में वह इस शर्त पर न्याय करने के लिए राजी हो जाता है कि चीता और व्याह्यण प्रारम्भ में जिस स्थिति में थे, उसी स्थिति में वापिस आ जायें। दोनों ने मह शर्त स्वीकार कर ली। सन्दूक में प्रवेश करते ही व्याह्यण ने सन्दूक को बन्द कर दिया।¹

Dubois, Le Pancha-Tantra पृ. ४६ पर यही कथा निम्नलिखित रूप में एक व्याह्यण और मगर को लेकर कही गई है:—

एक मगर एक व्याह्यण से प्रार्थना करता है कि तुम मुझे गङ्गाजी ले चलो ताकि मैं उसके पवित्र जल में निवास कर सकूँ। व्याह्यण उसे अपने बोरे में डाल लेता है। व्याह्यण जब मगर को गङ्गा-जल में रखने लगता है, मगर व्याह्यण की टाँग पकड़ लेता है। व्याह्यण कृतधनता के लिए मगर की भर्तसना करता है जिस पर मगर उत्तर देता है—‘मैं कथा कहूँ, जपाना ही ऐसा आ गया। आज तो रक्षक का भक्षक दत जाना ही कृतज्ञता का सबूत रूप रह गया है।’ वे दोनों न्याय के लिए एक आम के पेड़ तथा एक वृद्धा गाय के पास पहुँचते हैं। दोनों ही ‘मात्स्य-न्याय’ ना समर्थन करते हैं। तब वे एक लोमड़ी के पास पहुँचते हैं। लोमड़ी इन्हें नो व्याह्यण के विषय में अपना निर्णय देती है किन्तु वह यह आनना चाहती है कि मगर और व्याह्यण दोनों ने साथ-साथ यात्रा कैसे ती होगी? इस पर मगर किर बोरे में घुस जाता है, भार डाला जाता और लोमड़ी उसे ‘गलगत्य’ कर जाती है।¹

Verrier Elwin ने अपनी *Folk-Tales of Mahakoshal* के पुस्तक में उक्त लोक-कथा का भिन्न रूप प्रत्युत किया है जिसमें जात महा निर्गुणी' के आधार पर अंत में चीता व्याहरण को मारता है। एलविन का ग्रनुमान है कि संभवतः इस प्रकार की परिणाम कारण आदिवासियों की हिन्दुओं के प्रति उनकी विरोधात्मक प्रवृत्ति हो।^१

किन्तु जहाँ तक इस मूल अभिप्राय से संबद्ध राजस्थानी कथा पढ़ने-सुनने में आई हैं, उनमें पशु की क्रूरता और उसकी कृतज्ञता ही प्रदर्शन हुआ है, मनुष्य-जाति की निर्गुणता का नहीं।

राजस्थानी लोक-कथाओं में 'करके दिखाओ' मूल अभिप्राय का एक रूप भी प्रकट हुआ है, जिसमें कभी-कभी किसी चौर अथवा अप्रकृति के पात्र के विषय में उसके स्तिप्रकर्ष के कारण श्रोताओं की नुभूति जागृत हो उठती है। ब्लूमफॉल्ड के शब्दों में—

"One of the features of the 'Show me how' motif is that the quick wit (*matiprakarsha*) of a successful rogue sometimes wins the sympathy of the hearer, no matter how reprehensible his act or character."

'करके दिखाओ' मूल अभिप्राय के इस रूप के स्पष्टीकरण के लिए 'खाफरा' शीर्षक लोक-कथा का निम्नलिखित अंश उल्लेखनीय है:—

"सारा शहर खाफरा चोर से तंग आ गया। राजा के आदमियों पकड़ने की बहुत कोशिश की पर वह नहीं पकड़ा जा सका। जब शहर दुखी हो गया तो राजा ने कोतवाल को खुद गश्त लगा कर उसे पकड़ने की आज्ञा दी। ऐसे हाल तो पकड़ने के लिए उसका

या का रूप घर कर उधर गया। कोतवाल ने पूछा—‘बुद्धिया ! इतने गये, तुम कहाँ गई थी ?’ बुद्धिया ने कहा—‘मैं तो फलां सेठ के यारीत गाकर मिठाई लेकर आ रही हूँ।’ कोतवाल बहुत देर से भूख था। उसका भन मिठाई खाने के लिये ललचाया। बुद्धिया ने उगाई दी और पूछा—‘यह काठ का इसला बड़ा दुकड़ा क्यों डाल रख ?’ कोतवाल ने कहा कि यह तो खाफरे चोर को पकड़ने के लिए है या वे कोतवाल से प्रार्थना की—‘इसमें चोर कैसे पकड़ा जाता है, भी तो बतावें।’ कोतवाल ने बड़ी शान के साथ अपना पांव काठ दिया और बुद्धिया को चोर पकड़ने की विधि समझाई। कोतवाल पैर जब काठ से जकड़ गया तो बुद्धिया का वेश बनाये हुए खाफर उसे उसी हालत में छोड़ कर भाग गया। कोतवाल ने भारे शर्ह पर कपड़ा डाल लिया। सुबह जब लोग काठ के पास आये तो पर लोगों ने उसे चोर समझ कर खूब पीटा। पर जब कपड़ा हुँ देखा गया तो उसे कोतवाल के रूप में पाकर लोगों के श्राद्धचर्य व गता न रहा। राजा को जब यह बात मालूम हुई तो वह बड़ा नारा।

उक्त कथा में चोर की प्रत्युत्पन्नमति के कारण श्रोताओं की सहायता कोतवाल के प्रति जागृत न होकर ‘खाफरे’ की ओर जागृत होती है।

इस प्रकार के उदाहरण अन्य प्रदेशों की लोक-कथाओं में भी दिखते हैं।

‘करके दिखाओ’ सल अभिप्राय के असंख्य उदाहरण पौरस्त्य प्रौढ़ों

'मनोवैज्ञानिक प्रेरक भाव' (*Psychic Motif*) के नाम से अभिहित किया है।^१

अंत में यहाँ यह कहना अप्रासंगिक न होगा कि 'गादड़े रे भूँड़े कुशल' शीर्षक जो कहावती वाक्य ऊपर उद्धृत किया गया है, उससे स्पष्ट है कि पंचतंत्र की शूंज राजस्थान की लोक-कथाओं में आज भी सुनाई पड़ती है; और मैं तो कहूँगा, पंचतंत्र की कथाओं की शूंज तो न केवल राजस्थानी अथवा भारतीय लोक-कथाओं में ही सुनाई पड़ेगी, 'पंचतंत्र' की सार्वदेशिक यात्रा के कारण उसकी कथाओं को प्रतिध्वनि विश्व की अनेक लोक-कथाओं में भी सुनने को मिलेगी।



^१ The motif belongs to the Class which I have rubricated as *psychic motifs*; in this Class the

३. ऐरेक अभिप्राय (प्रतिघ्वनि-शब्द) *An Echo-word motif*

Emeneau नामक व्यक्ति ने पहले-पहल लोक-कथाओं में प्रेरक भेषज के रूप में 'प्रतिघ्वनि-शब्द' की ओर ध्यानों का ध्यान आकृष्ट था। इस अभिप्राय (*Motif*) का तात्पर्य यह है कि लोक-कथा कोई पात्र प्रतिघ्वनि-शब्द का प्रयोग करता है जिसे कोई सिंह श्रवणा ता सुन लेता है और सुन कर समझने लगता है कि प्रतिघ्वनि-शब्द रा द्योतित प्रारणी स्वयं उसकी अपेक्षा भी भयंकर होगा। इस अभिप्राय स्पष्टीकरण के लिए निम्नलिखित राजस्थानी कथा यहाँ उद्धृत की गई है :—

“किसी गाँव में एक बुद्धिया रहती थी। उसके पास एक अच्छा जा बकरा था। गाँव के मीणों की बुद्धिया के बकरे पर कई दिनों से चक्र थी। वे इस ताक में थे कि किस प्रकार बकरे को चुरा कर लाया गय। गाँव के पास ही जंगल में एक सिंह रहता था। बकरे को देखने वाले उसके मुँह से भी पानी भर आया।”

वर्षा के दिन थे। आकाश धने बादलों से आच्छादित था। सन्ध्या समय ही इतना अन्धकार हो गया कि हाथ को हाथ दिखाई नहीं देता था। बुद्धिया के दूटे हुए छप्पर से पार होती हुई वर्षा के जल कोई-कोई बूँद रह-रह कर उसके जर्जर शरीर पर टपक पड़ती थी। राह कर बुद्धिया ने कहा—‘हे भगवान्, मुझे सिंह तथा मीणों का भ

[२०]

इसी समय दो भीणों ने भी घने अन्धकार का सुअवसर देखकर बकरे को चुराने का निश्चय किया और बाड़े में आ गुसे । औंधेरे में वे बकरे को इधर-उधर टटोलने लगे । संयोग से एक भीणों का हाथ सिंह की गरदन पर पड़ा । उसके बड़े-बड़े बाल और भारी गरदन को देखते ही चोर ने सोचा—बस, यही बकरा है, और दूसरे चोर को संकेत किया । उधर सह को लगा, हो न हो, टपूकड़े ने ही गरदन धर पकड़ी । आज जिन्दा जनना मुश्किल !

चोरों ने उसे खींच कर बाड़े से बाहर किया और यह सोचकर कि इकरा हृष्ट-पुष्ट है, उस पर सवार हो लिये । उनके सवार होते ही सह ने जंगल की ओर छलांगें भरना शुरू किया । उसने सोचा—आज तो टपूकड़े के चक्कर में बुरा फंसा । कैसे पिण्ड छूटे ?

चोरों ने देखा कि बकरा बहुत लेज दौड़ रहा है तो उससे चिपट लिये और मजबूती से उसकी गरदन के बाल पकड़ लिये । इतने में कड़-फड़ाहट के साथ बिजली चमकी । बिजली के प्रकाश में चोरों ने देखा कि वे बकरे पर नहीं, सिंह पर सवार हैं ! काटो तो खून नहीं, पर कोई उपाय न था । पीठ यर चिपटे रहे ।

दौड़ते-दौड़ते सिंह एक बट-वृक्ष के नीचे से गुजरा, जिसकी लम्बी-तम्बी जटायें भूमि तक लटक रही थीं । चोरों को युक्ति सूझी और वे एक जटा को पकड़ पर पेड़ पर चढ़ गये । सिंह ने देखा—टपूकड़े से पिण्ड छूटा; जान बच्ची लाखों पाये । वह बेतहाशा जंगल की ओर भगा ।

[२१]

जरख ने कहा—‘आखिर आपसे भी अधिक शक्तिशाली वह टपूकड़ा है ? ऐसा प्रतीत होता है कि आपको भ्रम हो गया । मुझे भी इसे, कहाँ पर है वह ?’

सिंह ने कहा—‘जाने भी दे; वह जो बट-बृक्ष है, उसी पर वह रुक्ख में तो अब वहाँ नहीं जाने का !’

जरख ने कहा—‘आप दूर ही बैठ जाइयेगा । मैं बृक्ष के नीचे जाकर आऊँगा । ऐसी घबराने की क्या बात है ?’

इस प्रकार सलाह करके दोनों चले । सिंह, बृक्ष से बहुत दूर बैठ और जरख बृक्ष के नीचे आकर इधर-उधर जमीन को सूंघता हुआ ने लगा । चोरों ने जरख को देख लिया । चारों ओर घूम-फिर कर खेड़ के नीचे एक जगह बैठ गया । दोनों चोर सलाह करके ठोकी कमर पर एक साथ कूद पड़े । जरख की कमर दूट गई और वह तरह चीखता हुआ भगा । यह सोच कर कि टपूकड़े ने जरख बपकड़ा, सिंह भी दौड़ खड़ा हुआ ।

ये दोनों दौड़े चले जा रहे थे कि मार्ग में उन्हें एक बन्दर मिला । बन्दर ने सिंह को दौड़ते और जरख को कमर घसीटते हुए जाना तो पूछा—‘क्या बात है, आप इस प्रकार क्यों भगे जा रहे हैं ?’

सिंह ने कहा—‘क्या पूछता है, आज टपूकड़े ने हम दोनों की बरामदी की है ।’ जरख ने पुकार कर कहा—‘भूठ, कतई भूठ । इन्होंने बहका कर मरवा डाला । वहाँ टपूकड़ा कहाँ था ? वहाँ तो ‘दबक्क’ मुझे जाते ही दबक लिया ।’

वे दोनों पुनः बट-बृक्ष की ओर चले। सिंह और जरख तो कुसले पर ही बैठ गये और बन्दर उछलता-कूदता बृक्ष की ओर चल दर को आते देखकर एक चोर ने दूसरे से कहा—‘अबकी बार दर आ रहा है, इस दुष्ट से कैसे बचेंगे?’ दोनों ने सलाह की और के एक खोखरे में घुस कर बैठ गये।

बन्दर पेड़ पर चढ़ा और कूद-कूद कर डाली-डाली, पत्ता-पत्ता देया, पर कहीं कुछ पता न चला। विश्राम करने के लिए वह उखरे पर जाकर बैठ गया। बन्दर की पूँछ खोखरे के भीतर लटी थी। दोनों चोरों ने एक साथ पूँछ को मजबूती से कस कर पकड़ा। अब तो बन्दर की जान काबू में आ गई। वह बहुत चीखा-पुकार करे दिये पर पूँछ न छूटी। आखिरकार बन्दर ने पूरी शक्ति ले कर फटकारा मारा। पूँछ दूट कर चोरों के हाथ में रह गई और बन्दर जान से नीचे आ गिरा।

जेर और जरख ने बन्दर की चीख-पुकार सुनी तो समझा कि बन्दर पकड़ा गया और वे दोनों दौड़ उठे। जब दौड़ते-दौड़ते वे बहुत दूर च गये तो सौंस लेने के लिए रुके। थोड़ी देर में बन्दर भी बहाउ चा। सिंह और जरख ने पूँछहीन बन्दर को देख कर मन ही मना—‘बड़ा बुद्धिमान् बनता था। खूब रही!’ सिंह ने पूछा—‘क्या, कंसी रही? मैंने कहा नहीं था कि टपूकड़े से पार नहीं पा सकते

बन्दर ने कहा—‘तुम बड़े धोखेबाज हो, वहाँ टपूकड़ा-वपूकड़ा क्या? वहाँ तो खींचा तान थी।’ जरख बोल उठा—‘दबकन थी, दबकन के तो नहीं—’

उक्त राजस्थानी कथा में 'टपूकड़ा', 'दबकन' और 'खींचातान'-इन प्रतिध्वनि-शब्दों का प्रयोग हुआ है। 'टपूकड़ा' इन्हे तो बुढ़िया तथा शेष दो शब्दों का प्रयोग जरख और बन्दर ने किया।

इस प्रेरक अभिप्राय के कारण कथा में रोचकता आ जाती है। सिफ़ता है 'टपूकड़ा' उससे अधिक भयंकर प्राणी है, जरख समझता कन' मुझसे अधिक खूँखार है और बन्दर समझता है यह 'खींचाता' भयंकर बला है।

इस प्रकार की लोक-कथाओं में रोचकता का मुख्य कारण है नाटकीय (Irony)। सिंह, जरख और बन्दर कुछ को कुछ समझ बैठते भयभीत होकर दौड़ खड़े होते हैं। यह नाटकीय व्यंग्य ही कथा बसर करने में सहायक हुआ है। जिस प्रकार किसी सिंह से पीछा किए पर हम बड़ी तेजी से दौड़ पड़ते हैं, उसी प्रकार 'प्रतिध्वनि-शब्द' का यह कथा भी उतनी ही त्वरित गति से आगे बढ़ती है।

यहाँ यह उल्लेख कर देना भी आवश्यक है कि इस कथा के उद्भव नास और परिणामि अथवा आदि, मध्य और अंत, तीनों के मूल कीय व्यंग्य अपनी छटा दिखा रहा है। कथा का वास्तविक बुढ़िया के उस वाक्य में होता है जिसमें उसने कहा था—
 'वान, मुझे सिंह तथा चोरों का भी उतना भय नहीं लगता जितने नड़े का लगता है।' बुढ़िया की यह उक्ति नाटकीय व्यंग्य की सृजनी है। बुढ़िया तो निरे अनुकरण-शब्द के अर्थ में 'टपूकड़े' का प्रयोग करती है किन्तु सिंह उसे दूसरे अर्थ में समझ लेता है। बुढ़िया के वाक्य कारण जिस नाटकीय व्यंग्य की सृजनी है, वह श्रलंकारशास्त्र

सकते हैं कि जो वस्तुतः भयंकर है, वही भय का शिकार बन जा इससे बड़ा नाटकीय व्यंग्य और कथा होगा ?

इस अभिप्राय (*Motif*) से संबन्धित एक काश्मीरी लोक-कथा पर तुलना के लिए यहाँ दी जा रही है—

‘एक दिन एक किसान बैलों से खेत जोतने के लिए निकला । उसने बैलों को जूँड़े में लगा दिया, एक चीता उसके पास आया और उसने लगा—‘स्वासी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है जिससे मैं तुम्हारे बैलों को खा जाऊँ ।’ किसान ने कहा—‘तुम बैलों को रहने वाले तुम्हारे भक्ष्य के लिए एक दुधार-गाय अभी लाये देता हूँ ।’ किसान की स्त्री ऐसा करने के लिए राज्ञी नहीं हुई । उसने किसान जूँड़े पहने और एक टट्ठू पर सवार होकर उस स्थान पर पहुँची जागा किसान की प्रतीक्षा कर रहा था । किसान की स्त्री ने कहा—‘मैंने तीन चीतों का शिकार किया था किन्तु उसके बाद मुझे कोई आ नहीं मिला । मैं समझती हूँ, यहाँ मुझे कोई न कोई चीता मिल जाए ।’ यह सुनते ही दुष दबा कर चीता दौड़ खड़ा हुआ । मार्ग को एक गोदड़ से भेंट हुई । चीते ने कहा—‘मेरे पीछे एक ऐसा दुष लगा हुआ है जो चीतों का भक्षक है ।’ गोदड़ ने उत्तर दिया—‘इससे तुम भयभीत हो रहे हो, वह तो केवल एक स्त्री है । किन्तु पिछों चीते का भय दूर नहीं हुआ और उसने गोदड़ की पूँछ से अपनी बाँध ली । जब उस स्त्री ने दोनों को इस हालत में देखा, वह कहा—‘सियार, तुमने बड़ा अच्छा किया जो तुम मेरे लिए इतना हृष्ण । चीता ले आये हो किन्तु तुम्हारे यहाँ तो चीते बहुत हैं, उनका

लाया किन्तु चीते ने एक न सुनी । पत्थरों की रगड़ से गीदड़ के ग-पखेरू ही उड़ गये ! ?

उक्त काश्मीरी लोक-कथा में 'प्रतिध्वनि-शब्द' के स्थान में नाटकीय का ही यद्यकिंचित् प्रयोग हुआ है और उसी हृषि से 'टपूकड़े' शब्द स्थानी लोक-कथा से इसकी तुलना की जा सकती है । किन्तु बेरिय बिन द्वारा संगृहीत 'बीकल की शक्ति' (*The Power of Bikal*) के लोक-कथा यहाँ तुलनात्मक हृषि से विशेषतः उल्लेखनीय है :—

"किसी गाँव में एक व्यापारी रहता था । उसके एक लड़का था रात तीन चोर व्यापारी के घर में घुस गये । उसी रात व्यापारी पुत्र को खा जाने के लिए एक चीता भी उसी घर में घुसा ।

शाम के भोजन के बाद लड़के ने अपने पिता से कहा—‘मैं आकाल अपने ससुर के यहाँ जाना चाहता हूँ ।’ किन्तु व्यापारी—‘मेरे पुत्र, इस समय न जाओ । रात का समय है और फिरल’ का डर है ।’

चीते ने यह बात चीत सुनकर मन में सोचा—‘रात का नाम भी सुना है, लेकिन यह ‘बीकल’ क्या बला है ? यह तो कोई मुझ भयंकर प्राणी होगा ।’

जब घर वाले सब सो गये, चोरों ने सब रुपये चुरा कर एक बोरे लिये, लेकिन बोरा इतना भारी था कि वे इसे उठा न सके । इस पश्चात् अर्द्धों के ‘ठाण’ में वे एक बैल की तलाश में निकले । चीता

तीं बैठा हुआ था । अंधेरे में चोरों ने उसे ही बैल समझा, उसके बावजूद उसने भवन में रस्सी डाल दी और उसकी पीठ पर बोरा लाद दिया । चौपाई समझा—‘यही बीकल है । इससे वह त्रुपचाप बोरा लेकर आगे चले गए ।

प्रातःकाल जब चोरों ने चीते को देखा तो उनके होश उड़ गये और अपनी जान लेकर भगे । पास में एक नाला था जिसके किनारे चीते गया । चीते के अनुनय-विनय करने पर एक ग्वाले ने, जो पास में चरा रहा था, बोरा चीते की पीठ पर से उतारा और [उसे मुर्छा दिया । रुपयों का थैला ग्वाला अपने घर ले आया ।

एक दिन चीता ग्वाले को ले भगा । ग्वाले की स्त्री उसे ढूँढ़ती चीते के पास पहुँची । चीते ने पूछा—‘यह कौन है ?’ ग्वाले पर दिया—‘यह बीकल है ।’ इस पर चीता भयभीत हो उठा और उसने ग्वाले से कहा—‘यदि तुम मुझे कही छिपा दोगे तो मैं तुम्हें न छोड़ूँगा ।’ तब ग्वाले की स्त्री ने कहा—‘क्या बीकल के भक्षण के लिए अच्छे चीते मिल सकते हैं ?’ ग्वाले ने कहा—‘यहाँ कोई चीता नहीं या न मिले, मैं नहीं कह सकता ।’ तब स्त्री ने कहा—‘तुम्हारी यही जामीन पर वह क्या है ?’ ग्वाले ने कहा—‘वह तो निर्देशों का गद्दर है ।’ स्त्री ने कहा—‘उस पर पत्थर मार कर ज़रा देख सही ।’ चीते ने ग्वाले से कहा—‘मुझ पर धीरे से पत्थर मारो ।’ ग्वाले ने चीते के सिर पर धीरे से पत्थर मारा । लेकिन उसकी स्त्री कहा—‘धीरे नहीं, जोर से पत्थर मारो ।’ चीते ने ग्वाले से कहा—‘जोर से पत्थर मारो ।’ ग्वाले ने पूरी शक्ति से चीते पर पत्थरों का लिया और चीते की मृत्यु हो गई ।

उक्त लोक-कथा में भी राजस्थानी कथा की भाँति प्रतिध्वनि-शब्द मूल अभिप्राय का प्रयोग हुआ है, जिसमें साथ-साथ नाटकीय व्यंग्य तकार भी है।

राजस्थानी लोक-कथाओं में प्रतिध्वनि-शब्द के मूल अभिप्राय वह रूप भी उपलब्ध होता है जिसमें शब्द ध्वन्यर्थव्यंजक (*Onomatopoeic*) न होकर सादृश्य (*Analogy*) के आधार पर बना होता है। शेष चमत्कार-सृष्टि दोनों प्रकार की कथाओं में प्रायः इन रूप से देखने में आती है।

‘घोड़ी’ का पुलिलङ्ग रूप जैसे ‘घोड़ा’ होता है, उसी प्रकार साहू आधार पर ‘इन्द्र की परी का पुलिलङ्ग रूप ‘इन्द्र का परा’ गढ़ा होता है। निम्नलिखित राजस्थानी कथा में शब्द-निर्माण की इस इय-पद्धति का आश्रय लिया गया है। कथा इस प्रकार है :—

“एक दिन एक किसान जब खेत से लौट रहा था तो रात का घटकार चारों ओर फैल चुका था। किसान के सर पर पानी खींचने वाली रस्सा था और बगल में एक भेड़ का बचा था। मार्ग में उसे एक मिला। भूत ने किसान से पूछा—‘तू कौन है?’ किसान ने पूछा—‘मैं कौन है?’ भूत ने कहा—‘मैं भूत हूँ।’ किसान ने कहा—‘मेरा क्या पूछता है इन्द्र का परा।’ भूत ने कहा—‘आज मुझे बहुत भूख लग रही है तू ठीक मौके पर मिल गया। मैं तुझे अभी खाये छालता हूँ।’ किसान ने कहा—‘मित्र ! तू खूब मिला। हमारे देवताओं के राजा इन्द्र ली हो रही है। धन्वंतरि ने मालिश के लिए भूत का तेल बताया है। तेरा तेल निकालता हूँ।’ भूत ने कहा—‘पहले यह निर्णय कर ले।

[२८]

मेड़े के बच्चे को बगल से निकाल कर फेंका और कहा—‘दिख !’ भूत ने प्रपनी छोटी को [खोल कर दिखाया और कहा—‘इतनी बड़ी छोटी दिखला ।’ किसान ने अपने भारी रस्से को खोल कर भूत के ऊपर फेंका । रस्से की कई आंटें भूत की गर्दन में पड़ गईं ।

भूत धबराया । उसने सोचा—‘वास्तव में यह कोई इन्द्र का परा है ।’ अब तो भूत बहुत खिड़गिड़ाया । अंत में किसान ने भूत को इस शहर छोड़ दिया कि वह नित्य रात्रि को १० मन गेहूं किसान के घर में डाल जाया करे । किसान अपने खर्च-जितने गेहूं रख लेता, बाकी रोप बेच डालता । बड़े बैन से उसके दिन कटने लगे ।

एक दिन भूत को उसका भिन्न एक दूसरा भूत मिला । उसने सब डाल सुन कर कहा—‘इन्द्र की परियाँ तो सुनी हैं, यह ‘इन्द्र का परा युम्हीं से सुना । जरा मुझे बतला, उस इन्द्र के परे का घर । आज मैं हम उससे निष्ठ लूँगा । तुम आज आराम करो ।’

पहले भूत ने उसे किसान का घर बता दिया । किसान के घर को देनो से एक बिछो परवध गई थी, ‘हिल’ रही थी । वह घर का बहुत ज़क्सान करती रहती थी । किसान उससे तंग आ गया था । उसने सोचा—आज बिछो को अवश्य दण्ड दूँगा । किसान ने घर का दरवाजा, खिड़किया रादि सब बन्द कर दिये; केवल एक छोटी ताक खुली रखी और उस ताक पर रस्सी का फन्दा जमा दिया तथा स्वर्ण निगरानी के लिए तंगता रहा ।

दूसरा भूत अँधेरा होते ही वहाँ पहुँचा । उसने सोचा—‘पहले ज़रा रस्से के टोपे लेना चाहिए ।’ तो—

किसान ने पूछा—‘तू कौन है ?’ भूत ने कहा—‘मैं गेहूँ लाने वाले भूत का मित्र हूँ ।’ किसान ने कहा—‘तू यहाँ क्या करता था ?’ भूत ने कहा—‘मैं यह पूछने आया था कि गेहूँ पिसवाने में आपको कठिनाई होती होगी, क्यों नहीं, आटा ही ला दिया जाय ।’

किसान ने कहा—‘ठीक है, कल से १० मन गेहूँ का आटा डाल जाया करो ।’

अब पहला भूत नित्य १० मन गेहूँ लाता और दूसरा उसका आटा पीसता । इस प्रकार वह बुद्धिमान किसान बड़े आनन्द से जीवन बसर करने लगा ।”

प्रतिध्वनि-शब्द के प्रेरक अभिप्राय से संबन्ध रखने वाली जितनी लोक-कथाएँ मिलती हैं, उनमें प्रायः सभी में संयोग-तत्त्व का समावेश देखने में आता है । दूसरी बात यह है कि जो बढ़-बढ़ कर बातें बातें हैं, शेषी बघारते हैं अथवा हवा बांधते हैं, उन्हें ही संयोग से नीचा देखना पड़ता है जिससे एक प्रकार के अद्भुत व्यंग्य की सृष्टि होती है । लोक-कथाकार के हाथ में संयोग-तत्त्व एक बड़ा भारी कौशल (*Device*) है, कथा को यथेच्छ गति देने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है ।




४, मूल-अभिग्राय (उपश्रवण) (Overhearing Motif)

प्रायः सभी देशों की लोक-कथाओं में देखा जाता है कि पशु-पक्षियों की अपनी एक अलग ही भाषा होती है। इनमें भी पशुओं की भाषा की अपेक्षा पक्षियों की भाषा का ही विशेष हाथ रहता है। सम्भवतः इसका मुख्य कारण यह है कि पक्षी तो उड़कर दूर-दूर तक के आगम्य स्थानों तक जा सकता है जबकि किसी पशु के लिए ऐसा करना सम्भव नहीं। पक्षी किसी आँख के द्वीप की यात्रा कर सकता है, किसी गुफा में उसका प्रवेश हो सकता है, चाहे जिस पेड़ पर वह बैठ सकता है, किसी कमरे की छिड़की पर स्थित होकर जो कुछ अन्दर हो रहा है, उसे वह देख सकता है। आदिम मानव की धारणा के अनुसार पक्षियों में बड़ी सुझ-दूझ और समझ होती है और बहुत से रहस्यों का ज्ञान उन्हें रहता है।

लोक-कथा का जब कोई नायक किसी विपत्ति या संकट में पड़ जाता है, वह पशु या पक्षी के परस्पर बात-चीत करते हुए किसी जोड़े को देखता है और पीछे से छिपकर वह उस बातलिय को सुन लेता है, जिसके अनुसार काम करने से वह उस विपत्ति या संकट से छुटकारा पा राता है।

इस अभिग्राय का प्रयोग कथा-भाग को गति देने के लिए होता है। लोक-कथा का नायक जब संकट में पड़ जाता है, शोता या पाठ्य — प्रध नद्वी यात्रे ॥ —



[३१]

‘उपाख्यान’ नाम से भूल अभिप्राय बहुत प्राचीन जान पड़ता है और उपाख्यान के अनुरूप अध्याय में राजा जानशुति और रैक्व का उपाख्यान मिलता है। इस उपाख्यान में उक्त अभिप्राय का प्रयोग हुआ है। जानशुति ने समस्त विशाश्रों में ग्राम और नगरों के भीतर धर्मशालाएँ बनवा दी थीं। इससे उसका यह अभिप्राय था कि उन धर्मशालाओं में निवास करने वाले लोग उसी के द्वारा विद्या हुआ अथवा प्रहरा करेंगे।

एक बार गर्भी के दिनों में राजा अपने महल की अद्वालिका पर बैठा हुआ था। उसी समय रात्रि में उधर से हंस उड़कर गये। उनमें से एक हंस ने दूसरे हंस से कहा—“अरे ओ भज्ञाक ! ओ भज्ञाक ! देख, जानशुति पौत्रायण का तेज शुलोक के समान फैला हुआ है; तू उसका स्पर्श न कर, वह तुझे भस्म न कर डाले।” उससे दूसरे (अप्रगामी) हंस ने कहा—“अरे ! तू किस महत्व से युक्त रहने वाले इस राजा के प्रति इस दरह समरानित बच्न कह रहा है ? क्या तू इसे गाढ़ी वाले रैक्व के समान बतलाता है ?” इस पर उसने पूछा—“यह ओ गाढ़ी वाला रैक्व है, कौसा है ?” इस प्रकार कहते हुए उस हंस से दूसरे आगे चलने वाले हंस ने कहा—“अरे ! यह बेचारा राजा तो बहुत जुच्छ है। “निकृष्टोर्य राजा वराकः।” रैक्व की ओर उसकी क्या सत्ता ? जो कुछ प्रजा संसार में धर्म-कार्य करती है, वह सबका सब द्व के धर्म में समा जाता है। इस बात को जानशुति पौत्रायण ने न लिया। वह रैक्व के पास सहस्र गौएँ, हार, खजारियों से युक्त रथ या रैक्व की भार्या बनाने के लिए आयी—“

ही निश्चित कर दिया। इसके बाद रैक्व ने जानशुति को संवर्ग विद्या का उपदेश दिया।^२

जातक, कथा-कोश, कथासरित्सागर आदि में 'उपश्रवण' नामक अभिप्राय के अनेक उदाहरण मिलते हैं। 'कथाकोश' से एक उदाहरण लीजिये—

"एक पक्षी अपने बच्चे से कह रहा था कि अपने सभीपवर्ती शहर की राजकुमारी अन्धी है। बच्चे ने कहा—‘क्या कोई ऐसा उपाय नहीं जिससे उसकी आँखें अच्छी हो जायें?’ पक्षी ने उत्तर दिया—‘उपाय क्यों नहीं? उपाय तो है किन्तु मैं रात को नहीं, दिन में बतलाऊँगा हो सकता है, रात को कही कोई छिपा हुआ हो जो हमारी बात को सुन ले।’ किन्तु पक्षी के बच्चे ने जब बहुत हठ किया तो उस पक्षी ने कहा—‘इस बरगद के पेड़ की जड़ों के चारों ओर जो लता फैली हुई है, उसके रस से यदि आँखें धोई जायं तो राजकुमारी को तुरन्त दिखलाई पड़ने लग जायगा।’ एक राजकुमार जो स्वर्ण अन्धा था, उस बरगद के नीचे छिपा खड़ा था। उसने इस बातलाप को सुन लिया। उसने लता के रस से अपनी आँखें धो डालीं। ऐसा करते ही उसे दिखलाई पड़ने लग गया। तब वह राजकुमार तुरन्त ही सभीपवर्ती नगर में गया और राजकुमारी की आँखों पर भी उसने वही प्रयोग किया राजकुमारी की भी गई हुई आँखें लौट आईं। परिसामस्वरूप राजकुमार और राजकुमारी का विवाह हो गया और राजकुमारी के पिता ने राजकुमार को दहेज में अपना आधा राज्य भी दे दिया।^३

इस अभिप्राय से संबन्ध रखने वाली अनेक राजस्थानी लोक-कथाएँ उपलब्ध हैं जिनमें से एक यहाँ दी जा रही है :—

कोकशास्त्र को जानते वाली एक साहूकार की लड़कों थी । यहों की बोली वह समझती थी । एक बार आधी रात के समय साहूकार बोल उठा—“नदी में एक मुर्दा बहा जा रहा है, उसकी जार लाल हैं, कोई सुन रहा हो तो लाल निकाल ले ।” साहूकार ने हतना सुनते ही कटार हाथ में ली और श्रेकेली ही महले रे कर चल दी । रास्ते में दो ठग मिल गये । उन्होंने उसके बिरण छीन लिये और उसकी कटार भी हस्तगत करली । इतने बाद साहूकार का लड़का निद्रा से जगा । पास में जब साहूकार की को उसने नहीं देखा तो चिराग जलाई और उसकी तलाश ला । कुछ दूर चलने पर उसे साहूकार की लड़की दिखलाई पड़ी । कटार के लड़के ने चिराग तो बुझा दी और वह यह देखने के लिए कटार की लड़की के पीछे हो लिया कि यह चोरी करने जाती वा किसी प्रकार का अन्याय करने जाती है । साहूकार की लड़की के समीप गई । मुर्दे को पकड़ कर वह उसे किनारे पर ले आई । उसके पास कटारी तो थी नहीं, उसने अपने दाँतों से मुर्दे की जांड़ी और चारों लाल उसमें से निकाल ली । यह देखकर साहूकार का तो हङ्का-बङ्का रह गया । उसने अपने मन में कहा—‘यह तो डाकिया वह पीछे लौट चला और उसने अपने पिता से कहा—‘यह तो चोरी थी है, वह मेरे काम की नहीं । इसे महल में रखा तो मैं विदेश जाऊँगा अथवा कटारी खाकर मर जाऊँगा ।’ लड़के के पिता को पीहर भेजने का विचार किया । रथ जुड़ाया और श्वसुर द्वेष-पीछे चला । एक बरगद के पेड़ के नीचे रथ ठहरा । वहाँ पाल

उससे फायदा उठा ले ।' यह सुनते ही साहूकार की बेटी बोली—
 "शुगाल ने तो यह किया और अब हे कौवे । तू क्या करने वाला है ?
 इतने में इबसुर जग उठा । उसने पूछा—'बेटी ! यह क्या कह रही हो ?
 साहूकार की बेटी ने कहा—'इबसुरजी ! मैं पशु-पक्षियों की बोली सम-
 झती हूँ । सियार ने तो मुद्दे की जांघ में चार लाल बत्ताई थीं और
 अब यह कौदा बालाजी की इस मूर्ति के नीचे चार बर्तनों की सबर दे
 रहा है ।' इबसुर ने बालाजी की मूर्ति को तो उठाकर एक और रखा
 और चारों बर्तन निकाले । इबसुर ने कहा—'बेटी ! बापिस चल ।'
 साहूकार की बेटी ने उत्तर दिया—'पति तो मूर्ख है, बात-बात पर व्यर्थ
 का हठ करने लगता है ।' इबसुर ने कहा—'बेटी ! पति तो जैसा हो,
 भुगतना ही पड़ता है ।' अन्त में इबसुर की बात सात कर साहूकार की
 बेटी बापिस आ गई । इबसुर ने अपने मूर्ख लड़के को चार लाल तथा
 रुपयों और मोहरों से भरे चारों बर्तन सम्मला दिये । मूर्ख भी प्रसन्न
 हो गया । उसका धर-बार बस गया । जैसा उसका धरबार दसा, वैसा
 ही सब किसी का बसे ।'

ब्लूभर्फॉल्ड के मतानुसार 'उपश्वेतण' नामक मूल अभिप्राय का प्रयोग
 एक कथा-कौशल के रूप में होता है, केवल इस अभिप्राय को लेकर
 गायद ही कोई कथा कही जाती हो । किन्तु 'साहूकार की बेटी' शीर्षक
 तो कथा ऊपर उद्घट की गई है, वह मुख्यतः उपश्वेतण नामक मूल
 अभिप्राय की ही कथा है; समूची कथा इसी अभिप्राय को लेकर
 लती है ।

फिर भी ब्लूमफोर्ड का यह कहना यथार्थ है कि उपश्वेता नामक अभिप्राय का प्रयोग अधिकतर कथा को गति देने के लिए ही किया जाता है। 'चौबोली' नामक प्रसिद्ध राजस्थानी लोककथा में इस अभिप्राय का प्रयोग कथा-कौशल के रूप में ही हुआ है। इस सम्बन्ध में उक्त कथा का निम्नलिखित अंश प्रासांनिक समझ कर यहाँ उद्धृत किया जा रहा है :—

"एक दिन राजा भोजन कर रहा था और रानीजी सदिष्याँ उड़ा रही थीं। पूछा अंगन था। वहाँ एक चीटी चावल लेकर चलो। उसी समय दूसरी चीटी आकर छीनने के लिए लिपट गई। नब चीटी ने कहा—'मेरे आगे से क्यों छीनती है ? ये चावल राजा भोज की थाली में बहुत पढ़े हैं।' इस पर चीटी ने कहा—'हमारे मेहमान आये हैं, मुझे ले जाने दे।' ऐसी बात समझ कर राजा भोज हँसा। राजा सब जीवों की भाषा जानता था। तब रानी ने पूछा कि महाराज, आप किस कारण हँसे ? राजा ने इन्कार किया। रानी बहुत आश्रह करके पूछने लगी कि महाराज, मुझे हँसने का वृत्तान्त कहो। राजा ने मन में विचार किया—इन्कार कर गया तो अब मैं कहने का नहीं। यदि कह दिया तो मरण होगा। रानी दानुन नहीं करती। तब राजा ने कहा कि गंगाजी के तट पर बात कहूँगा। राजा चला। गंगाजी के समीप संहकर शहर था। उसके बाहर आकर राजा उतरा। वहाँ से पाँच गोल की दूरी पर एक नदी के समीप जंगल में डेरा ढाला गया। नदी ने शोभा देखकर राजा जंगल में गया जहाँ एकान्त था। आपे एक ग्रा था। कुएँ के अन्दर ककड़ी के बोल के बहुत से फल लगे हुए थे। एँ के पास भेड़-बकरियों का झण्डा था—

सुनकर राजा ने विचार किया कि मैं चौदह विद्या निधान और मेरे बुद्धि का भेद एक बकरे ने प्रकट कर दिया ।”⁹

उक्त अवृत्तरण से स्पष्ट है कि लोक-कथाओं के चीटी जैसे शुद्ध जन्मुओं और बकरा-बकरी जैसे पशुओं के पास भी मात्रव-ज्ञाति से संबद्ध बहुत से रहस्य सुरक्षित रहते हैं जिनका उद्घाटन उनकी पारस्परिक वातालाप द्वारा ही जाता है। कहानी का प्रमुख पात्र इस प्रकार के रहस्योदयाटन से लाभान्वित होता है। यद्यपि ‘चौबोली’ कहानी में भोज की रानी रहस्योदयाटन करने का हठ नहीं करती, वह समझ जाती है कि राजा भोज ‘चौबोली’ से विद्वाह करना चाहता है, गङ्गा की यात्रा की बात तो केवल बहानेबाजी है किन्तु फिर भी यह निश्चित है कि बकरा-बकरी के पारस्परिक वातालाप को सुनने के बाद राजा भोज भी के लिए अपने प्राणों को खतरे में नहीं डालता।

लोक-कथाओं का नामक, जैसा पहले कहा जा चुका है, पशु-पक्षियों की भाषा जानने वाला होता है और वह जब किसी विपत्ति में यड़ जाता है तो पशु-पक्षियों की पारस्परिक वार्ता को सुनकर तथा तदनुकूल कार्य करके विपत्ति से छुटकारा या जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि उपश्रवण नामक मूल अभिप्राय का सम्बन्ध शुद्ध जन्मुओं तथा पशु-पक्षियों तो भाषा और उनके पारस्परिक वातालाप से है। किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि दो व्यक्तियों की बात को छिपकर सुन लेने से किसी हस्य का पता नहीं चलता। ऐसी भी लोक-कथाएँ उपलब्ध हैं जिनमें व्यक्तियों के वातालाप के द्वारा किसी रहस्य का उद्घाटन होता है। बाहरण के लिए ‘सच्ची मितराई’ शीर्षक एक राजस्थानी कहानी जिसमें

नवल की हत्या कर डलता है। नवल की खींची को बंशी पर शक था। एक शाम को वह लुक-छिप कर बंशी की झोपड़ी के पीछे लड़ी हो गई। बंशी ने अपनी खींची को आवाज दी कि मैं तेरे लिए जो गहने लाया हूँ, उन्हे पहन कर तो दिखला, ये तुम्हें कैसे लगते हैं? खींची ने गहने पहन कर दिखलाये और अपने पति में पूछा—“इतने गहने आपने मेरे लिए कैसे बनवा दिये?” बंशी मुस्करा दिया और बोल उठा—“अरी पाली! दोस्त भी तो ऐसा ही पकड़ा था। सेठजी का लड़का नवल बहुत-सा धन लेकर परदेश गया था। मौका पाकर उसे खस्म कर दिया और मेरे गहने तुम्हारे लिए बन गये!”

इस कहानी में नवल को खींची, बंशी और उसकी पत्नी के बातलाप को छिप कर सुनती है और इस हृष्टि से यह भी एक प्रकार का ‘उपश्वरण’ तो है ही; किन्तु यह उपश्वरण कथा-कौशल के रूप में प्रयुक्त नहीं हुआ है, इसलिए इसे उपश्वरण नामक मूल अभिप्राय नहीं माना जाना चाहिए।

ब्लूमफील्ड का इरादा हिन्दू-कथाओं के अभिप्रायों का एक विश्वकोश तैयार करने का था। उनका विचार था कि मूल अभिप्रायों में ‘उपश्वरण’ नामक अभिप्राय का स्थान उसकी सर्वसामान्यता और बहुमूल्यता के नारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहेगा।¹

¹ Bloomfield thought that the 'Overhearing' Motif would figure large 'as one of the most common & precious devices of stories' in his future Encyclopaedia of Hindu Fiction. Its intention is in allowing the b...'

राजस्थानी लोक-कथाओं में भी उक्त अभिप्राय के अनेक रूप उपलब्ध होते हैं जिनमें से कुछ का ऊपर उल्लेख किया गया है।



information or instruction in perplexing situations. The motif is generally what is called 'progressive'. It is rarely the main theme of the story, but it is a very valuable way of advancing the plot in circumstances where the usual means of imparting information to the characters by letters, newspapers or messages are not available.

Most commonly it is a bird which is overheard; on the whole the conversation of birds is the standard source of information. 'A little bird told me' seems to be the rock bottom of the notion founded on the sincere folklore feeling that the chirp and twitter of birds is the prime and natural source of otherwise inaccessible information. and Bloomfield goes on to point

४. भूल अभिप्राय (Motif)

परकाया-प्रवेश अथवा पन्द्रहवीं विद्या

(Entering another's body).

योग-जात्स्त्र संबन्धी ग्रन्थों में योग की शक्तियों द्वारा असाधारण कृत्यों की सिद्धि के उल्लेख मिलते हैं। परकाया-प्रवेश भी ऐसे ही असाधारण कृत्यों में से एक है। कथासरित्सागर में इसे 'अन्यदेहप्रवेशको योगः' तथा 'देहान्तर-यावेश' के नाम से अभिहित किया गया है। अन्य ग्रन्थों में 'परकाया प्रवेश' को 'पर पुर प्रवेश' भी कहा गया है। जायसी के 'पदमावत' में भी अनेक स्थानों पर 'परकाया प्रवेश' का प्रसंग उपलब्ध होता है। उदाहरणार्थ—

ला तुम्हार जीव कै, आपत पिंड कमावा फेरि ।

ग्रापु हेराइ रहा तेहि खँड हुओइ काल न पावे हेरि ॥१॥

अस वह जोगी अमर भा पर काया परवेश ।

आव काल तुम्हर्हि तहै देखै बहुरे कै आदेस ॥२॥

(गघर्व सेन मंत्री खंड)

अर्थात् अपने जीव की तुम्हारे रूप का करके उस रत्नसेन ने परकाया-प्रवेश द्वारा दूसरा शरीर प्राप्त किया है। तुम्हारे शरीर के एक रण्ड (हृदय) में उसका आपा छिया हुआ है। अतएव मृत्यु उसे नहीं पाती ॥१॥

इस प्रकार परकाया-प्रवेश से वह जोगी अमर हो गया है। करता है और उसके घर में तम्हैं देखता है—

जायसी का पदमावत एक ऐसा काव्य है जिसमें योग-दर्शन और लोक-कथा दोनों के तत्त्वों का समावेश हुआ है। 'परकाया प्रवेश' इस प्रकार का मूल अभिप्राय है जिसमें कथा और दर्शन दोनों का सम्मिलन देखने को मिलता है।

भारतवर्ष में चिरकाल से 'परकाया-प्रवेश' में विश्वास करते लोग रहे हैं। बौद्ध ग्रन्थों में बतलाया गया है कि चन्द्रगुर्बी की मृत्यु पर उसके मृत-शरीर में देवगर्भ नामक एक यक्ष प्रवेश कर गया। बहुत से हिन्दू इस बात में विश्वास करते हैं कि जब मनुष्य है तो उसकी आत्मा उसे छोड़ कर अन्यत्र भ्रमण करने के लिए जाती है। इसीलिए सोते हुए मनुष्य से छेड़-छाड़ करना अथवा से मजाक करना बहुत बुरा समझा जाता है। यदि सोये हुए मनुष्य मुख किसी प्रकार के लेप द्वारा विकृत कर दिया जाय तो संभव भ्रमण के बाद लौट कर आई हुई आत्मा उस व्यक्ति को न पहचान सकती है।

पर काया-प्रवेश जो हमारे योग-दर्शन का सिद्धान्त है, उसका प्रवेश हमारी लोक-कथाओं में हो गया है तो इसमें किसी प्रकार अत्यरिक्त वर्चय की बात नहीं।

लोक-कथाओं में परकाया-प्रवेश की सक्रिय और निष्क्रिय दो प्रकार पद्धतियाँ दिखलाई पड़ती हैं। सक्रिय पद्धति का रूप वह है जहाँ एक व्यक्ति खाली छोड़ दिया जाता है, दूसरा, जो प्रायः शत्रु होता है, शरीर प्रवेश कर जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि शरीर के उपर्युक्त स्वामी का फिर श्रणना बढ़ जारी नहीं रह जाता। दो सम्भव

और उसे अपने पूर्व-शरीर को प्राप्त करने का सुअवसर मिल जाय। क्षेय 'परकाया-प्रवेश' के उदाहरण-स्वरूप राजस्थानी की एक नलिखित लोक-कथा सुनिये—

"राजा भोज उज्जयिनी में राज्य करता था। उसके एक रानी थीं का नाम था भानमती। डसने भोज से कहा—'बैसे तो आप चौदह निधान हैं, किन्तु काया-पलट की १५ वीं विद्या और सीखिये।' री स्त्री की बात मान कर भोज १५ वीं विद्या सीखने के लिए पाटन। पाटन शहर से एक कोस की दूरी पर एक साधु रहता था। उसका भिक्षा माँगने के लिए शहर में जाया करता था। राजा भोज ने आँदु द्रव्य और व्यंजन देकर चेले को खुश कर लिया। साधु काया-ट अथवा परकाया-प्रवेश की १५ वीं विद्या जानता था। भोज ने उसे कहा—'तुम्हारा गुरु इस विलक्षण विद्या को जानता है। वह तो बुद्ध हो चला, तुम उससे पह विद्या क्यों नहीं सीख लेते?' चेले ने कहा—'मेरा गुरु आज ही मुझे इस विद्या के सम्बन्ध में मंत्र की दीक्षा दी।' एक धोबी ने भी यह बात सुन ली। इसलिए राजा भोज और धोबी दोनों चेले के साथ-साथ चले। साधु की कुटी पर पहुँच कर राजा भोज और धोबी दोनों छिप गये। गुरु ने १५ वीं विद्या का उपदेश दम्भ किया किन्तु चेले को ऊंध आने लगी। भोज इस बात को ताढ़ा। इसलिए चेले की जगह हुंकारा वह देता गया। जब उपदेश समाप्त हो तो साधु ने चेले से पूछा—'तुमने मंत्रोपदेश भली भाँति समझा या नहीं?' चेले ने कहा—'गुरुदर, मुझे तो बीच में ही ऊंध आने री थी, इसलिए मैं तो कुछ समझ नहीं पाया।' साधु ने पूछा 'तो फिर

राजा १५ वीं विद्या तो सीख ही गया था । साधु को पीछे आकर देख कर वह शुक होकर उड़ा । साधु ने शुकी बन कर उसका पीछा किया । शुक उड़ता-उड़ता पाटन की राजकुमारी के महल से चला गया । राजकुमारी ने उसे पकड़ लिया । शुकी भी उड़ती-उड़ती जब उधर पहुँच जूसे मार कर वहाँ से उड़ा दिया । साधु बिल्ली बन गया और उड़ता में था कि किसी प्रकार वह शुक का काम तभाम कर दे । राजकुमारी में शुक बना रहता और रात को अपने असली रूप में प्रकट होता । राजा ने राजकुमारी से कहा कि यह जो बिल्ली धूमती दिखलती है, यह मासूली बिल्ली नहीं है, यह मेरे प्राणों की ग्राहक है । शुक रहने में मेरी कुशल नहीं है, यह सोच कर राजा भोतियों का हार बनाए और राजकुमारी के गले में बैठ गया । साधु ने बाजीगर का बेला और खेल दिखला-दिखला कर पाटन के राजा को रिभा लिया । राजा ने साधु से वरदान माँगने के लिए कहा । उसने वरदान के लिए राजकुमारी के हार की माँग की । राजकुमारी ने हार बन कर बाजा भोज से परामर्श किया । हार ने कहा—‘मोती तोड़कर दे दो और मुट्ठी को मुट्ठी में रख लो । राजकुमारी ने मोती तोड़ कर दे दिये और मुट्ठी को मुट्ठी में रख लिया । बाजीगर ने कुत्ता बन कर मोती छुरे का भोज ने राजकुमारी से कहा—‘मेरु छोड़ दे ।’ मेरु छोड़ने के बाद भोज बिल्ली बन गया और उसने कुत्ते की नसे तोड़ डाली । राजकुमारी का पिता पाटन का राजा यह सब देख कर अवाक् रह गया । राजकुमारी ने उसे सब तथ्यों से अवगत कराया । राजा बिल्ली से पिता बन गया और पाटन की राजकुमारी से उसका विवाह हो गया ।

एक बार राजा शिकार के लिए गया और उसने उस धोबी को भी जिसने १५ वीं विद्या सीख ली-थी, प्रपत्ते साथ ले लिया। राजा ने हरिण और हरिणी के जोड़े को देखा। इस युगल को देख कर राजा मुराद हो गया। उसने हरिण को मार डाला और स्वर्य हरिण बनने की इच्छा से उस धोबी को कहने लगा—‘मैं हरिण की काया में प्रवेश कर रहा हूँ। तुम मेरी ‘खोड़’ (काया) के मध्यस्थी न लगाने देना।’ राजा हरिण की काया में प्रवेश कर गया। उधर राजा की काया खाली देख कर धोबी के सन में दग्गा सूझा। वह राजा की काया में प्रवेश कर गया और धोड़े पर चढ़ कर राजा रूप उस हरिण को मारने वौड़ा। राजा तुरत्त ही शुक बन कर उड़ गया। राजा बने हुए उस धोबी ने चिढ़ीमारों को हुक्म दिया कि शहर में जो भी पक्षी आये, उसे मार डाला जाय। लोग इस रहस्य को समझ नहीं सके। सब यही कहने लगे—‘राजा भोज की बुद्धि अष्ट कैसे हो गई? वह तो कभी ऐसा पापी न था।’ किन्तु भानमती जो १५ वीं विद्या जानती थी, वह इस रहस्य को समझ गई। उसने सोनारी को राजा भोज का पता लगाने के लिए भेजा। शुक बने हुए भोज ने सोनारी को सब समाचार कहे। सोनारी शुक को छिपा कर भानमती के पास ले आई। भानमती ने सोलह शृंगार किये। राजा बने हुए उस धोबी ने कहा—‘आज तो रानी प्रसन्न दिखलाई पड़ती हैं।’ भानमती ने कहा—‘पहले भी तो आप बकरा बना करते थे और मैं घृटनों के बल चल कर आया करती थी। आज भी आप बकरा बन कर दिखलाइये।’

धोबी ने राजा की काया छोड़ ज्यों ही बफरे की काया में प्रवेश किया, राजा भोज अपनी ‘खोड़’ में आ गया। राजा के आपत्ति का—

उदर जो राजस्थानी लोक-कथा ही गई है, उसमें काया-पलट-सम्बन्धी घटनाओं का अच्छा धात प्रतिशत या जमघट देखने को मिलता है, इसलिये यह सक्रिय पढ़ति का निर्दर्शन प्रस्तुत करती है।

जापसो के पद्मावत से जो अंश उदधृत किया गया है, उसे निष्क्रिय-पढ़ति का उदाहरण समझिये ।

भारत के अन्य प्रदेशों में भी काया-पलट के अभिप्राय से सम्बन्ध रखने वाली अनेक लोक-कथाएँ उपलब्ध हैं किन्तु राजस्थान में इस प्रकार की लोक-कथाएँ प्रचुरता से प्राप्त होती हैं। राजस्थान के जन-जीवन पर नाथ-पंथ का प्रभाव इसका एक कारण हो सकता है।

राजस्थानी लोक-कथाओं में इस मूल अभिप्राय (Motif) को १५ वीं विद्या अथवा काया-पलट का नाम दिया गया है।



६. मूल अभिप्राय (नक्तों तो कहो मत)

खरपुत्त जातक में बतलाया गया है कि राजा सेनक ने एक नागों के राजा से मित्रता करली थी। नागों के राजा ने प्रसन्न होकर सेनक को एक ऐसा मंत्र दिया जिसकी सहायता से वह सभी प्रकार की चोलियों को, यहाँ तक कि चीटियों को पारस्परिक बातचीत को भी समझने लग गया।

एक दिन जब राजा भोजन कर रहा था तो शहद की बूँद, कुध गुड़ तथा रोटी का टुकड़ा—ये सब जमीन पर गिर पड़े। एक चीटी यह देखकर चिल्ला उठी—“राजा के शहद का घड़ा फूट गया है, उसके गुड़ की गड़ी तथा रोटी की गड़ी उलट गई है; चलो, अच्छा हुआ, खूब शहद, गुड़ और रोटी खाने को मिलेगी।” चीटी की यह बात सुन कर राजा को हँसी आ गई। उसकी रानी ने हँसने का कारण पूछा। राजा के सामने बड़ी कठिन समस्या थी। नागों के राजा ने मंत्र देते समय सेनक को चेतावनी दी थी कि अगर वह इस मंत्र का भेद किसी को दे देगा तो उसे तुरन्त अग्नि में प्रवेश कर के प्राण-दण्ड का भागी बनना पड़ेगा। राजा ने बहुतेरा चाहा कि वह भेद की बात किसी को न कहे केन्तु जब उसकी रानी ने बहुत अधिक आश्रह किया तो राजा अपने दंसने का कारण बतलाने ही चाहा था कि उसने एक बकरे और बकरी गो प्रेम-कहानी सुनी और संभल गया।

उपर की कथा में जिस मूल अभिप्राय का प्रयोग हआ है, उसे केन्द्र एलेक्षिन ने “...”

इस मूल अभिप्राय का हम संक्षेप में नामकरण करना चाहें तो इसे “नटो तो कहो मत” का नाम दिया जा सकता है। यह मूल अभिप्राय किनना प्राचीन है, यह ऊपर दी हुई जातक-कथा से स्पष्ट है। इस अभिप्राय से संबन्ध रखने वाली अनेक लोक-कथाएँ उपलब्ध हैं। सिंहल की एक लोक-कथा यहाँ दी जा रही है :—

“चीटियों की बातचीत सुन कर एक राजा को हँसी आ गई। उसकी रानी ने हँसी का कारण पूछा। इतने में राजा ने परस्पर भगदड़ते हुए बन्दरों की बातचीत सुनी। एक बन्दर की स्त्री भोजन के बारे में बड़ा तृफान मचा रही थी। बन्दर ने आव देखा न ताव, अपनी स्त्री की अच्छी पिटाई की। राजा ने यह देख कर मन में विचार किया—“ये बन्दर जैसे प्राणी ही जब अपनी स्त्रियों से नहीं डरते तो मैं ही क्यों डरूँ?” उसने भी अपनी स्त्री को खूब पीटा। उसके बाद रानी ने राजा को कभी परेशान नहीं किया।”

इसी प्रकार इटली की एक कहानी में बताया गया है कि एक बार ईसाममीह किसी धनवान के यहाँ ठहरे और उसे जानवारों की बोली समझ सकने का वरदान दिया किन्तु साथ ही यह चेतावनी भी दी गई कि वह इस भेद को किसी से, यहाँ तक कि अपनी स्त्री से भी, नहीं कहे। उस धनी व्यक्ति ने एक बार एक बैल और गधे की बातचीत सुनी। उसे गात सुनने में इतना आनन्द आया कि वह हँसी से लोट-पोट हो गया। उसकी स्त्री ने जब हँसी का कारण पूछा तो उस धनी व्यक्ति ने बताने इन्कार कर दिया। इस पर स्त्री बहुत रुठ गई। धनी व्यक्ति भी बड़ा झी हुआ और समझ नहीं पा रहा था कि इस समस्या को कैसे हल रे? अंत में उसने दींग मारते हुए एक मुर्ग की बात सुनी। वह कहा था—‘स्त्री को बढ़ा में रखना नहीं ——

‘अनेक लोक-कथाएँ’ ऐसी मित्तती हैं जिनमें रानी राजा से भेद प्रकटने के लिए हठ करती है। राजा जानता है कि भेद प्रकट कर देने से मेरा मृत्यु हो जायगी। इसलिए अपनी स्त्री को इधर-उधर की अनेक कहानियाँ कह कर अपने को किसी प्रकार बचाने का वह प्रयत्न उत्तरा है। किन्तु राजा जब यह देखता है कि भेद कहे बिना कोई चारा नहीं, तब वह रानी को गङ्गा जैसी किसी पवित्र नदी के किनारे ले जाता है। उसके मन में आता है कि भेद प्रकट करके जब मरना ही है तो किसी पवित्र नदी के तट पर ही भेद प्रकट वर्धों न करूँ जिससे मरते समय तो मुझे कम से कम कुछ शान्ति मिले। वहाँ भी वह बकरे-बकरी की बात सुनता है। बकरा कहता है कि देखो, एक राजा अपनी स्त्री के कहने से मृत्यु के मुख में प्रदेश करने जा रहा है। मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ जो स्त्री के दुराग्रह को मान कर मृत्यु का आलिंगन करूँ। इस प्रकार के वार्ता लाप को सुन कर राजा का भी विचार बदल जाता है और वह भेद बिना प्रकट किये ही लौट आता है। किमी-किसी कथा में तो इस प्रकार के वार्तालाप का राजा के मन पर इतना प्रभाव पड़ता है कि वह अपनी रानी को घुटनों तक भुकने के लिए कहता है और उसी समय उसका सिर उत्तार लेता है।

महाकोशल की एक लोक-कथा के अनुसार एक राजा और रानी ठैं हुए थे। रानी राजा से हठ कर रही थी कि मुझे भेद बिना बताये गम नहीं चलेगा। इतने में एक बकरा और बकरी कुएँ के पास आये। ऐसे में हरी-हरी धास उगी हुई थी। बकरी ने कुएँ के धंदर जाने का चार किया किन्तु उसे छर लगा कि मैं कहीं कुएँ के अंदर गिर न ऊँ। उसने बकरे से कहा—‘पतिदेव ! पवि ग्राम ॥ २ ॥

ने कहा—“तुम तो नर हो, मुझें गिरने का बया डर हो सकता है ? यह सुन कर बकरा बोल उठा—‘अब सभका, मैं भर जाऊँ तो तुम्हाँ कोई डर नहीं ल्योगि कि तुम किसी दूसरे बकरे से शादी कर लोगी किन्तु मैं ऐसा मूर्ख नहीं जो स्त्री के कहने से अपने प्रारणों को जोखम में डालू’। जीवित रहा तो विवाह करने के लिए मुझे बकरियों की कमी नहीं । राजा ने यह सुन कर रानी से कहा—‘इस बकरे की बुद्धि सराहनीय है; मैं भी इसी का अनुसरण करूँगा । यदि मैं भेद प्रकट कर देता हूँ तो पत्थर के रूप में बदल जाऊँगा किन्तु अब मैं यह करने के लिए कदाचित तैयार नहीं । तुम्हारी इच्छा हो, विष खालो, तुम्हारी इच्छा हो, कटारी खाकर भर जाओ, तुम्हारी इच्छा हो, कुएं में हूब कर प्राण त्याग कर दो । यदि मैं जीवित रहा तो तुम्हारी जैसी अनेक स्त्रियाँ मुझे मिलेंगी ।’ यह कह कर वह घर के लिए लौट पड़ा और उसकी स्त्री भी बिना नज़ुनब किये उसके पीछे होली ।”

उक्त कथा को पढ़कर राजस्थान की प्रसिद्ध लोक-कथा ‘चौबोली’ का स्मरण हो आता है जिसका निश्चिलिखित अंश यहाँ उद्धृत किया जा रहा है—

“उजेशी नगरी राजा भोज राज करे । तिरण राजा रे च्यारि मित्र । राजा भोज रे धरे श्राया । धरणा कायदा किया । अनेक भाँति रो लक्ष्मी हुई । धरणा सनमान दे नै कहौ—पनरहवीं विद्या मोनुं जिरण ति श्रावं तिम करौ । ताहरां च्यारां ही कहौ—जु बाराही देवी रे इ नै पूजा आहवान करि देवी आराहिस्यां । मिरण हेक योक महाराज रएौ छै । पंण राणोजी अर थां गाढो सुख छै । कोई बात पूछै तो नै मतां । अर नटो तो कहो मतां । *** — *** ”

राजा कहो—म्हे क्यां ही नुं कहिस्थां। एक बिन राजा आरोगतो
 और रांगीजी माल्यां उड़ावता हुता। गछ गरी रौ आंगणौ थौ,
 रे एक कीड़ी चावल ले हाली हुती तितरे बीजी आइ खोसण नुं
 । ताहरां कीड़ी बोली—मो आगा कासूं खोसै। श्रै चावल राजा
 री थाली माहे घणा ही पडिया छै। तूं ओर ले जाह। ताहरां
 कहो—म्हारे पश्चुणा आया छै, ले जांबण दे मोनुं। इसी बात
 भिलि नै राजा भोज हसीयौ। राजा जीव भाषा सख जाणतौ।
 रांगी राणी यूछियौ—जु महाराज, कुण वासते हंसीया। राजा नटीयौ।
 गी बहुत गाढ करि पूछणा लागा। जु महाराज, भोनुं हंसीया री
 तंत कहीजै। राजा मन मैं विचारीयौ—नटीयौ तो कहण रौ मै
 । कहीजै तो मरण हुवै। रांगी दांतण फाड़ नहीं। ताहरां राजा
 भोज—बात गंगाजी रे तट कहीजसी। राजा चालीयौ। गंगाजी रे
 सिंहकर सहर हुतौ। बाहिर जाइ उतरीया उबां हूरौ कोस पांचे
 नदी रे काँठ जंगल माहे डेरा हूया। नदी री हवा देख अर जंगल
 रीयौ। एकांत पधारीया। आगे कूवौ छै। कूवै माहे काचरा री बेल
 फली छै। कूवै काँठ एवड़ चरै छै। एक छाली बाकरे नुं कहै छै—
 मांहि काचर ले दे तो तौनुं दरूं। ताहरां बाकरो बोलीयौ—म्हारी
 ल राजा भोज मिली नही छै। बाहिर रे कहीयै मरण नुं जाइ छै।
 र साबत तो व्याह घणां। तिका बात सांभिलि नै राजा विचारीयौ
 हूँ चौदह विद्या री निधान सुं म्हारी मति बाकरे कही। राजा पांचे
 आयो। रांगी आय हजूर बैठी छै। राणी कहै—रावलै गंगारै
 त काँड करणी छै नहीं, रावलै विमाह करणी छै। वीमाह करौ तो
 बोली परणीजिस्थौ।”

अर्थात् उज्जीव नगरी मेरा राजा भोज राज्य करता था। उसके चाल

कहा कि पन्द्रहवीं विद्या मुझे जिस भाँति आवे, बैसा करो। इस पर चारों ने ही कहा कि बराही देवी के पहाँ जाकर दूजा-आवाहन करके हम देवी की आराधना करेगे। परन्तु महाराज ! एक बात तुमको करनी है। जूँकि रानीजी और तुम से घनिष्ठ प्रेम है, इसलिए यदि वह कोई बात पूछे तो इन्कार मत करना। और यदि इन्कार करदो तो कहना मत। और यदि बात को इन्कार करके कह दोये तो तुम्हारा मरण होगा।

राजा ने कहा कि हम क्यों कहेंगे। एक दिन राजा भोजन कर रहा था और रानीजी मविख्याँ उड़ा रही थीं। पक्का आँगन था। वहाँ एक चीटी चावल लेकर चली। उसी समय दूसरी चीटी आकर छोनने के लिए लिपट गई। तब चीटी ने कहा—“मेरे आगे से क्यों छोनती है ? ये चावल राजा भोज की थाली मे बहुत पड़े हैं। तू और ले जा।

इस पर चीटी ने कहा—हमारे भेहमान आये हैं, मुझे ले जाने दे। ऐसी बात सुन कर राजा भोज हँसा। राजा सब जीवों की भाषा जानता था। तब रानी ने पूछा कि महाराज, आप किस कारण हँसे ? राजा ने इन्कार किया। रानी बहुत आश्रह करके पूछने लगी कि महाराज, मुझे हँसने का वृत्तान्त कहो। राजा ने मन में विचार किया—इन्कार कर गया तो अब मैं कहने का नहीं। यदि कह दिया तो मरण होगा। रानी दातुन नहीं करती। तब राजा ने कहा कि गंगाजी के तट पर बात कहूँगा। राजा चला।

गंगाजी के समीप सिंहकर शहर था। उसके बाहर आकर राजा उतरा। वहाँ से पांच कोस की दूरी पर एक नदी के समीप जंगल में डेरा ढाला गया। नदी की शोभा देख कर राजा जंगल में गया जहाँ

लादे तो मैं तुझसे शादी करूँ ।” इस पर बकरे ने कहा—“मेरी बुद्धि
राजा भोज जैसी नहीं है जो स्त्री के कहने पर मरने जा रहा है। ‘सिर
सावल तो व्याह घने ।’ यह बात सुन कर राजा ने विचार किया कि मैं
चौबह विद्या निष्ठान और मेरी बुद्धि का भेद एक बकरे ने प्रकट कर
दिया। राजा लौटकर डेरे में आया। रानी आकर सामने आयी। रानी
ने कहा कि आपको गंगा की तीर्थ-यात्रा तो कुछ करनी है न—अप
तो हमरा विवाह करेंगे। विवाह करें तो चौबोली से करिये ।”

चौबोली के इस कथांश में और पहली उद्घृत की हुई लोक-कथाओं
में अद्युत साम्य है। इस सन्दर्भ में निम्नलिखित बातें उल्लेखनीय हैं—

१. राजा भोज के चारों दिन उसे जीव-जन्मग्रामों की भाषा अर्थात्
१५ दी विद्या भिखलाते हैं किन्तु इस भेद के प्रकट कर देने के
द्विपरिणाम के प्रति उसे सतर्क कर देते हैं।
२. रानी हंसने का कारण पूछती है और राजा भोज बताने से
इन्कार कर देता है।
३. जब रानी हठ ठान लेती है और दातुन नहीं करती तब राजा
गंगाजी के तट पर जाकर भेद प्रकट करने की बात कहता है।
४. बकरे और बकरी की बात सुनकर राजा भोज के मन में प्रायः
वैसी ही प्रतिक्रिया होती है जैसी ऊपर उद्घृत अन्य लोक-
कथाओं के नायकों के मन में होती है।
५. अन्य लोक-कथाओं की भाँति हंसी का कारण चीटियों का
परस्पर वार्तालाप है।

किन्तु राजस्थानी कथाकार ने एक बात कही है जो आगे —

में —

ना करना पड़ेगा। 'या तो इन्कार मत करना' यह शर्त राजस्थान-कथा के अतिरिक्त अन्य किसी लोक-कथा में नहीं है। अन्य बारण की हृष्टि से कुछ भिन्न भले हों किन्तु मूलतः एक है।

हाँ, राजस्थानी कथा की परिणामि कुछ भिन्न मालूम पड़ती है। को एक ऐसा अवसर मिल गया है जिसके कारण वह भेद प्रकट देने के संकट ने बच गया है। जब राजी यह कहने लगती है कि गंगाजी की जात तो कुछ देनी है नहीं, आपको तो चौबोली आह करना है तो कथा का प्रवाह दूसरी ओर प्रवाहित होने लगता है।

इसका कारण सम्भवतः यह है कि यह चौबोली का कथांश मालूमपूर्ण कथा नहीं। चौबोली जी सुरय कथा की अवतारणा के लिए रवतः लोक-कथाकार को इस प्रकार की परिणामि का आधय लेना है। यदि उक्त कथा-खण्ड स्वतन्त्र कथा के रूप में लिखा जाता तो निश्चित है कि इस स्वतन्त्र कथा की परिणामि भी अन्य लोक-कथाओं भाँति ही होती। बकरे और बकरी की बात सुनकर राजा भी प्रकट करके कभी भी अपने प्राणों को जोखम में न डालता।

'नटो तो कहो मत' इसे एक स्वतन्त्र मूल अभिप्राय के रूप में किया गया है। पिछले पृष्ठों में उपश्वरण (*Overhearing*) एक मूल अभिप्राय की चर्चा की गई है। उससे इस अभिप्राय समानता होते हुए भी दोनों अभिप्राय परस्पर भिन्न हैं। उपश्वरण एक मूल अभिप्राय में अनागत विपत्तियों की चेतावनी देना जो कार का मुख्य लक्ष्य है, वहाँ इस अभिप्राय में जीव-जन्मुओं की समझने पर विशेष बल दिया जाता है। हाँ, दोनों ही अभिप्राय ही बात अवश्य समान है कि भेद प्रकट कर देने पर खतरे का सामना